



निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला, "किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को पैनलबद्ध" के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है।

यह एक खुली निविदा है। केवल वही फर्मों जो केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर पंजीकृत हैं, निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। निविदा दस्तावेज को देखने/डाउनलोड करने के लिए सीपीपी पोर्टल <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर 25 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 02.00 बजे के बाद से और आरबीआई की वेबसाइट पर <https://www.rbi.org.in> पर "निविदाएं" मेनू के तहत उपलब्ध होगा।

इच्छुक निविदाकर्ताओं को ₹22,000/- (रुपये बाईस हजार मात्र) की राशि बयाना राशि के रूप में एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से ही भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को जमा करना होगा। विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेजों को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) वेबसाइट <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर अपलोड किया जाएगा। सभी पूर्व-योग्यता (PQ) कागजात केवल सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और इसे बैंक द्वारा परीक्षा के लिए निविदा के पहले ई-कवर यानी भाग-1 के खुलने पर डाउनलोड किया जाएगा।

ई-निविदा संख्या	RBI/Agartala/HRMD/26-27/2
ई-निविदा का नाम	किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को पैनलबद्ध के लिए ई-निविदा
a) अनुमानित लागत (excluding GST)	₹11,00,000/- (रुपये ग्यारह लाख मात्र)
b) ई-निविदा की प्रणाली	ई-खरीद प्रणालि (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्यबोली) https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से
c) ई-निविदा का प्रकार	खुली (दो-बोली प्रणाली)
d) पक्षों के लिए ई-निविदा सूचना डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की तारीख	25 सितम्बर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे से
e) बोली-पूर्व बैठक की तिथि, समय और स्थान	ऑफलाइन: 01 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैकसन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरणी, अगरतला - 799 001
f) एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से बयाना राशि (ईएमडी) जमाकरें एवं विवरण केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर डालें। लेन-देन विवरण (यूटीआर संख्या) भी ईमेल पता: hrmdagartala@rbi.org.in पर अंतरंग/ अग्रेषित करें।	₹22,000/- (रुपये बाईस हजार मात्र) केवल एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया गया: लाभार्थी का नाम – भारतीय रिज़र्व बैंक लाभार्थी खाता संख्या – 8614038 IFSC - RBISOAGPA01(5वां और 10वां अंक शून्य है)
g) ई-निविदा शुल्क	शून्य
h) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि।	14 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक
i) https://etenders.gov.in/eprocure/app पर ऑन-लाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा की शुरुआत की तारीख	25 सितम्बर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे से

j) तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑन लाइन ई-निविदा बंद करने की तिथि।	14 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक
k) भाग-I (अर्थात तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय। भाग-II यानी मूल्य बोली खोलने की तिथि अलग से सूचित की जाएगी	15 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे
l) ई-निविदा की वैधता	तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिन

भविष्य में ई-निविदा में जारी किए गए किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर दिया गया आरबीआई वेबसाइट और सीपीपी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

स्थान: अगरतला
तारीख: 25 सितम्बर, 2026

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
अगरतला



भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India **अगरतला / Agartala**

**किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को
पैनलबद्ध के लिए ई-निविदा**

**E-Tender for Empanelment of vendors for Annual Service Contract for
supplying cars on hire**

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम कॉपी, वितरित, या रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि आरबीआई को उक्त उद्देश्य के लिए जबाब देने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाए। इस दस्तावेज की सामग्री का उपयोग, यहाँ तक कि अधिकृत कर्मियों/ एजेंसियों द्वारा भी यहाँ निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना, सख्त वर्जित है और ऐसा करना कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा और इसलिए, यह भारतीय कानून के तहत दंडनीय होगा।

This document is the property of Reserve Bank of India (RBI). It may not be copied, distributed, or recorded on any medium, electronic or otherwise, without the RBI's written permission thereof, except for the purpose of responding to RBI for the said purpose. The use of the contents of this document, even by the authorized personnel / agencies for any purpose other than the purpose specified herein, is strictly prohibited, and shall amount to copyright violation and thus, shall be punishable under the Indian Law.



दावात्याग /DISCLAIMER

भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला ने इच्छुक पक्षों को संविदा संबंधी पृष्ठभूमि सूचना देने के लिए इस दस्तावेज को तैयार किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस दस्तावेज के अंतर्गत अपेक्षित सावधानी के साथ सूचनाएं दी गई हैं तथा यह समझा जाता है कि सूचनाएं सही हैं; फिर भी, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसका कोई प्राधिकारी या एजेंसी, न तो उससे संबंधित कोई अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज में निहित सूचनाओं या इससे संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली किसी सूचना की संपूर्णता या सटीकता के बारे में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की वारंटी देता और न ही उसका प्रतिनिधित्व करता है।

Reserve Bank of India, Agartala, has prepared this document to give background information on the Project to the interested parties. While Reserve Bank of India has taken due care in the preparation of the information contained herein and believe it to be in order, neither Reserve Bank of India nor any of its authorities or agencies nor any of their respective officers, employees, agents or advisors give any warranty or make any representations, express or implied as to the completeness or accuracy of the information contained in this document or any information which may be provided in association with it.

यह सूचना व्यापक नहीं है। इच्छुक पक्षों से खुद ही पूछताछ करना अपेक्षित है तथा प्रतिवादी से अपेक्षित है कि वह उसे लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करते समय केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा में प्रदत्त सूचना पर आश्रित नहीं है। सूचना इस आधार पर प्रदान की गई है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी संबंधित कार्यालय, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं होगी।

The information is not intended to be exhaustive. Interested parties are required to make their own inquiries and respondents will be required to confirm in writing that they have done so, and they do not rely only on the information provided by RBI in submitting the Tender. The information is provided on the basis that it is non – binding on Reserve Bank of India or any of its authorities or agencies or any of their respective officers, employees, agents or advisor.

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास परियोजना की प्रक्रिया प्रारंभ करने या परियोजना का स्वरूप बदलने, इस दस्तावेज में प्रदर्शित समय सारणी में परिवर्तन करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या क्रिया विधि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उसे इच्छा प्रकट करने वाले किसी पक्ष से इस मामले में आगे किसी प्रकार की चर्चा न करने का भी अधिकार होगा। इच्छा प्रकट करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी प्रकार के खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

Reserve Bank of India reserves the right not to proceed with the Project or to change the configuration of the Project, to alter the timetable reflected in this document or to change the process or procedure to be applied. It also reserves the right to decline to discuss the matter further with any party expressing interest. No reimbursement of cost of any type will be paid to persons or entities expressing interest.



भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA
अगरतला / AGARTALA

निविदा आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING TENDER

वास्तविक आधार पर विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं के नाभिकायन हेतु ई-निविदा **एक साल की प्रारंभिक अवधि यानी 1 नवंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2027 तक** के लिए होगी। हालांकि, अनुबंध को दो साल की एक और अवधि, एक समय में एक वर्ष, या ऐसी अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसे बैंक संतोषजनक प्रदर्शन और निविदाकर्ता द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन आवश्यक समझेगा।

E-Tender for empanelment of vendors for Annual Service Contract for supplying cars to Reserve Bank of India, Agartala on hire for various official requirements on actual basis **for an initial period of one year i.e. from November 01, 2026 to October 31, 2027.** However, the Contract can be further extended for a further period of two more years, one year at a time, or such other period as the Bank may consider necessary subject to satisfactory performance and adherence to Contractual obligations by the tenderer.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला, “किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए विक्रेताओं को पैनलबद्ध” के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। यह एक खुली निविदा है। केवल वही फर्म जो केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर पंजीकृत हैं, निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। निविदा दस्तावेज को देखने/डाउनलोड करने के लिए सीपीपी पोर्टल <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर 25 सितम्बर, 2026 को अपराह्न 02.00 बजे के बाद से और आरबीआई की वेबसाइट पर <https://www.rbi.org.in> पर “निविदाएं” मेनू के तहत उपलब्ध होगा।

2. Reserve Bank of India, Agartala invites e-tender for “Empanelment of vendors for Annual Service Contract for supplying cars on hire”. This is an Open Tender. Only those firms who are registered on Central Public Procurement (CPP) portal will be able to take part in the tendering process. The tender document for viewing / download will be available from 02.00 p.m. onwards on September 25, 2026 on the CPP Portal at <https://etenders.gov.in/eprocure/app> and the website of the RBI at <https://www.rbi.org.in> under the menu “Tenders”.

3. निविदा के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें होंगी, जिन पर बोलीदाताओं को सहमत होना होगा। निविदा का दूसरा ई-कवर यानी भाग II (मूल्य बोली) में बोलीदाताओं की मूल्य बोली होगी जिसे सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाना है।

3. Part I of the tender will contain the Bank's standard technical and commercial conditions for the proposed work, which must be agreed to by the bidders. The second e-cover i.e., Part II (Price Bid) of the tender will contain the bidders' price bid to be submitted online on CPP portal.



4. इच्छुक निविदाकर्ताओं को **₹22,000/- (रुपये बाईस हजार मात्र)** की राशि बयाना राशि के रूप में **एनईएफटी / नेट बैंकिंग** के माध्यम से ही **भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला** को जमा करना होगा। विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेजों को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) वेबसाइट <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर अपलोड किया जाएगा। सभी पूर्व-योग्यता (PQ) कागजात केवल सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और इसे बैंक द्वारा परीक्षा के लिए निविदा के पहले ई-कवर यानी भाग-1 के खुलने पर डाउनलोड किया जाएगा।

4. Intending tenderers shall pay a sum of **₹22,000/- (Rupees Twenty-two Thousand Only)** as earnest money to be **paid through NEFT/ Net banking only** to Reserve Bank of India, Agartala. The duly filled in tender documents shall be uploaded on Central Public Procurement (CPP) website <https://etenders.gov.in/eprocure/app>. All Pre-Qualification (PQ) papers shall be uploaded only on CPP portal and same will be downloaded at the opening of first e-cover i.e., Part I of the tender for examination by the Bank.

5. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक को उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। ईएमडी के बिना ई-निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. Applicants intending to apply will have to satisfy the Bank by furnishing documentary evidence in support of their possessing required eligibility and in the event of their failure to do so, the Bank reserves the right to reject their bids. E-tenders without EMD will not be accepted under any circumstances.

6. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

6. The Bank is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept either in full or in part any tender. The Bank also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reason thereof.

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि भविष्य में ई-निविदा में जारी किए गए किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर दिया गया आरबीआई वेबसाइट और सीपीपी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और अखबार में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

Note: All the tenderers may please note that any amendments / corrigendum to the e-Tender, if issued in future, will only be notified on the RBI website and CPP Portal as given above and will not be published in the newspaper.

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) / General Manager (Officer-in-Charge)
भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India
अगरतला / Agartala



भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA
अगरतला / AGARTALA

**किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को
पैनलबद्ध के लिए ई-निविदा**

**E-Tender for Empanelment of vendors for Annual Service Contract for
supplying cars on hire**

सूची / Index

क्र. सं. Sl. No.	शीर्षक / Title	पृष्ठ सं. / Page No.
1	ई-निविदा सूचना / Notice Inviting Tender	3
2	अनुभाग - I / Section – I निविदा की अनुसूची / Schedule Of Tender	7
3	अनुभाग - I - ई - निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश / Section – II - Important Instructions for E – Tender	9
4	अनुभाग – III - बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश और पूर्व-पात्रता मानदंड / Section III - General Instructions to Bidders and Pre-eligibility Criteria	15
5	अनुभाग IV - बोली मूल्यांकन मानदंड / Section – IV - Bid Evaluation Criteria	29
6	अनुभाग - V - कार्य का दायरा और समझौते के नियम और शर्तें Section V - Scope of Work and Terms and Conditions of the agreement	31
7	अनुभाग VI - भाग- I तकनीकी वाणिज्यिक बोली / Section – VI PART-I- TECHNO- COMMERCIAL BID	48
8	अनुभाग VII - भाग II - केवल वित्तीय बोली / Section – VII – PART II – Financial Bid Only	56
9	अनुलग्नक I - बैंकों का विवरण / Annex I - Details of Banker/s	60
10	अनुलग्नक II - ग्राहक की रिपोर्ट / Annex – II - Client's Report	61
11	अनुलग्नक III - कार किराया फीडबैक फॉर्म / Annex – III / Car Hire Feedback Form	63
12	अनुलग्नक IV - बेड़े में वाहनों की सूची / Annex – IV /	65

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	List of Vehicles in The Fleet	
13	अनुलग्नक V - प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा / Annex – V - Proforma for Performance Bank Guarantee	66
14	समझौते का अनुच्छेद / Annex – VI - Article of Agreement	71



अनुभाग I /Section – I
निविदा की अनुसूची /SCHEDULE OF TENDER
(केवल ई-खरीद के माध्यम से / Only through e-procurement)

ई-निविदासंख्या / E-Tender No.	RBI/Agartala/HRMD/26-27/2
ई-निविदा का नाम/ E-Tender Name	किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को पैनलबद्ध के लिए ई-निविदा E-Tender for Empanelment of vendors for Annual Service Contract for supplying cars on hire
a) अनुमानित लागत / Estimated cost (excluding GST)	₹11,00,000/- (रुपये ग्यारह लाख मात्र) ₹11,00,000/- (Rupees Eleven Lakhs only)
b) ई-निविदाकीप्रणाली/ Mode of e-tender	ई-खरीदप्रणालि (ऑनलाइनभागI –तकनीकीबोलीऔरभागII – मूल्यबोली) https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से e-Procurement System (Online Part I - Technical Bid and Part II - Price Bid) through https://etenders.gov.in/eprocure/app
c) ई-निविदाकाप्रकार/ Type of e-tender	खुली (दो-बोलीप्रणाली)/ Open (Two-Bid System)
पक्षोंकेलिएई-निविदासूचनाडाउनलोड के लिए उपलब्धहोनेकीतारीख d) Date of NIT available to parties to download	25 सितम्बर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे से From 02:00 PM on September 25, 2026
e) बोली-पूर्व बैठक की तिथि, समय और स्थान / Date, time and venue of Pre-bid meeting	ऑफलाइन: 01 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे Offline: October 01, 2026 , at 03:00 PM स्थान: भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैकसन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरणी, अगरतला - 799 001 Venue: Reserve Bank of India, 2nd Floor, Jackson Gate Building, Lenin Sarani, Agartala – 799 001
(f) एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से बयाना राशि (ईएमडी) जमाकरें एवंविवरणकेंद्रीयसार्वजनिकखरीद (सीपीपी) पोर्टलपरडालें।लेन-देनविवरण (यूटीआरसंख्या) भीईमेलपता: hrmdagartala@rbi.org.in परअंतरंग/ अग्रेषितकरें। Pay Earnest Money Deposit (EMD) through NEFT / Net Banking and upload the details on the Central Public Procurement (CPP) Portal .Also, intimate/ forward the transaction details (UTR	₹22,000/- (रुपये बाईस हजार मात्र) केवल एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया गया: लाभार्थिकानाम - भारतीयरिजर्वबैंक लाभार्थिखातासंख्या – 8614038 IFSC - RBIS0AGPA01(5वांऔर 10वांअंकशून्यहै) ₹22,000/- (Rupees Twenty-two Thousand Only) paid through <u>NEFT/ Net Banking only</u> Beneficiary Name- Reserve Bank of India

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



number) to e-mail: hrmdagartala@rbi.org.in	Beneficiary A/c No – 8614038 IFSC - RBIS0AGPA01 (5 th and 10 th digit is Zero)
(g) ई-निविदाशुल्क / E-Tender Fees	शून्य / NIL
(h) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि। Last date of submission of EMD.	अक्टूबर 14, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक October 14, 2026 , up to 02:00 PM
i) https://etenders.gov.in/eprocure/app पर ऑन-लाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा की शुरुआत की तारीख Date of Starting of e-tender for submission of on-line Technical Bid and price Bid at https://etenders.gov.in/eprocure/app .	25 सितम्बर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे से From 02:00 PM on September 25, 2026
j) तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद करने की तिथि। Date of closing of online e-tender for submission of Technical Bid & Price Bid.	14 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक October 14, 2026, up to 02:00 PM
k) भाग-I (अर्थात् तकनीकी बोली) के खुलने की तिथि और समय। भाग-II यानी मूल्य बोली खोलने की तिथि अलग से सूचित की जाएगी Date & time of opening of Part-I (i.e. Technical Bid). Date of opening of Part II i.e. price bid shall be informed separately	15 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे October 15, 2026, at 03:00 PM
l) ई-निविदा की वैधता / Validity of the e-tender	तकनीकी बोली खोलने की तारीख से 90 दिन / 90 days from the date of opening of technical bid



अनुभाग- II /Section – II

ई-निविदा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश **Important Instructions for E – Tender**

यह आरबीआई की ई-खरीद आयोजन है। ई-खरीद सेवा प्रदाता/ठेकेदार केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) <https://etenders.gov.in/eprocure/app> है।

This is an e-procurement event of RBI. The e-procurement Service Provider/Contractor is the Central Public Procurement Portal (CPPP) <https://etenders.gov.in/eprocure/app>.

ई-निविदा की प्रक्रिया: बिडर मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

Process of E-tender: Bidder manual kit is available on home page.

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>.

नए बोलीदाताओं के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में विक्रेता का सीपीपी पोर्टल के साथ पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता (ओं) अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी बोली और मूल्य बोली भी जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आरबीआई इस तरह की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएंगी)।

Registration for new bidder: The process involves vendor's registration with CPP portal which is free of cost. Only after registration, the vendor(s) can submit his/their bids electronically. Electronic Bidding for submission of Technical Bid as well as Price Bid over the internet will be done. The Vendor should possess Class III signing and encryption type digital certificate. Vendors are to make their own arrangement for bidding from a P.C. connected with Internet. RBI is not responsible for making such arrangement. (Bids will not be recorded without Digital Signature).

किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्नों के लिए कृपया निम्नलिखित 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें:

For any technical related queries please call at the following 24 x 7 Help Desk Number:

0120 - 4001 002

0120 - 4001 005

0120 - 4493 395

ईमेल सहायता:

Email Support:

Technical - support-eproc@nic.in

Policy Related - cppp-doe@nic.in

आरबीआई अगरतला में संपर्क व्यक्ति / Contact person at RBI Agartala

(i) श्री चंदन साधुखॉ, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला। ईमेल - csadhukhan@rbi.org.in,

दूरभाष सं. - 0381-2381061

Shri Chandan Sadhukhan, Assistant Manager, Reserve Bank of India, Agartala.

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



Email: csadhukhan@rbi.org.in, Phone No.: 0381-2381061

(ii) श्री मोनोजीत देब, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला। ईमेल - mdeb@rbi.org.in, दूरभाष सं. - 0381-2381061

Shri Monojit Deb, Assistant Manager, Reserve Bank of India, Agartala.

Email: mdeb@rbi.org.in, Phone No.: 0381-2381061

(iii) श्री कमल कुमार, प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला। ईमेल - kumarkamal@rbi.org.in, दूरभाष सं. - 0381-2381061

Shri Kamal Kumar, Manager, Reserve Bank of India, Agartala. Email: kumarkamal@rbi.org.in Phone No.: 0381-2381061

सिस्टम आवश्यकताएं /System Requirements:

ऑपरेटिंग सिस्टम Operating System	Windows 7 और उससे ऊपर, BOSS Linux Window 7 and above, BOSS Linux
जावा Java	जावा 8 अपडेट 161 (अनुशंसित संस्करण - डाउनलोड अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध) Java 8 Update 161 (Recommended version – available under Downloads section)
ब्राउज़र Browser	फ़ायरफ़ॉक्स; Firefox; गूगल क्रोम; Google Chrome; माइक्रोसॉफ्ट एज; Microsoft Edge
डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature	क्लास3 - हस्ताक्षर प्रमाण पत्र; Class 3 – Signature certificate क्लास3 - एन्क्रिप्शन प्रमाणपत्र; Class 3 – Encipherment certificate
इंटरनेट कनेक्टिविटी Internet Connectivity	कम से कम 1 MBPS और उससे ज़्यादा स्पीड वाला डेडिकेटेड इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन Dedicated Internet Broadband Connection with minimum 1 MBPS speed and above
अन्य/ Others	MS Office, WinRAR, DSC ड्राइवर्स, PDF रीडर/क्रिएटर MS Office, WinRAR, DSC Drivers, PDF Reader/Creator

विवरण के लिए, विक्रेता बिडर मैनुअल किट का संदर्भ ले सकता है, जो होम पेज पर उपलब्ध है।

For details, vendor may refer to **Bidder manual kit, available on home page.**

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>

• विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा प्रदान किया गया कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध है और सीपीपी पोर्टल के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय अपडेट किया गया है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने क्लास 3 वर्ग के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

• The vendors are required to ensure that their corporate email I.D. provided is valid and updated at the time of registration of vendor with the CPP portal. Vendors are also



requested to ensure validity of their class III signing and encryption type of DSC (Digital Signature Certificate).

- सभी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे खुद को पहले से पंजीकृत करा लें और ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण में देरी के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, यदि कोई हो।
- All bidders are requested to get themselves registered well in advance and no extra time will be considered for submission of bids for delay in online vendor registration, if any.
- बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-निविदा वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप में ही अपनी वित्तीय बोलियां जमा करें और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि बोलीदाता द्वारा बोली की फाइल में संशोधन पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided in e-tender website and no other format is acceptable. If the BOQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be liable to be rejected.
- बोली में भाग लेने के लिए सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- All costs towards participation in the Bid shall be borne by the bidder.
- ई-निविदा एनआईटी (निविदा आमंत्रण नोटिस) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद अभिगम नहीं की जा सकती है।
- E-tender cannot be accessed after the due date and time mentioned in NIT (Notice inviting tender).

ई-निविदामें बोली: / Bidding in e-tender:

a) विक्रेता(ओं) को आवश्यक ईएमडी जमा करना होगा। **ईएमडी केवल नीचे उल्लिखित खाते में एनईएफटी क्रेडिट के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला के पक्ष में दिया जाएगा।** ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) का ईएमडी निविदा आमंत्रित प्राधिकारी द्वारा नियत समय में वापस कर दिया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए ईएमडी का भुगतान पहले से ही कर दें। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण निम्नानुसार हैं:

b) Vendor(s) need to submit necessary EMD. **EMD will be given in the form of NEFT credit only in the account mentioned below in favour of Reserve Bank of India, Agartala.** No interest will be paid on EMD. EMD of the unsuccessful vendor(s) will be refunded by the Tender inviting authority in due course. Bidders are advised to remit EMD well in advance to avoid last minute hassle. The account details for NEFT transactions are as follows:

लाभार्थी का नाम: / Beneficiary Name: भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला/ Reserve Bank of India, Agartala

लाभार्थी खाता सं. / Beneficiary Ac No: **8614038**

आईएफएससी/ IFSC: **RBIS0AGPA01**

(5वां और 10वां अंक शून्य है) / (5th and 10th digit is Zero)

ईएमडी भेजने का प्रमाण सीपीपी पोर्टल में अपलोड किया जाना है। बोलीदाताओं को लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण भी hirmedagartala@rbi.org.in पर भेजने की सलाह दी जाती है। जो निविदाएं ईएमडी के साथ नहीं हैं, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

The proof of having remitted the EMD is to be uploaded in CPP portal. The bidders are also advised to send the proof of remittance with transaction number (scanned copy) to hirmedagartala@rbi.org.in. A tender which is not accompanied by such EMD will not be considered.



b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

b) The process involves Electronic Bidding for submission of Technical and Commercial Bid.

c) विक्रेता केवल सीपीपी वेबसाइट <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।

c) The vendor(s) can only submit their Technical Bid and Financial Bid through internet in CPP website <https://etenders.gov.in/eprocure/app>.

c) विक्रेता के पास चल रहा जावा अनुप्रयोग होना चाहिए। बोली की शुरुआत के तुरंत बाद यह अभ्यास करना होगा। फिर उन्हें सामान्य शब्द/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। इसके बाद, उन्हें तकनीकी बोली पर क्लिक करना चाहिए। यदि यह जावा एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेज/जमा नहीं कर पाएगा।

d) The vendor should have running JAVA application. This exercise has to be done immediately after opening of Bid floor. Then they have to fill up Common terms / Commercial specification and save the same. After that, they should click on the Technical bid. If this JAVA application does not run, then the vendor will not be able to save/submit his Technical bid.

e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेताओं को इसे रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाने और विवरण भरने के बाद, विक्रेताओं को वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों के सहेजे जाने के बाद, विक्रेता को बोलियों को पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक करना होगा।

e) After filling the Technical Bid, vendors have to click 'save' for recording the same. Once the Commercial Bid link becomes active and the details are filled up, vendors have to click on "save" to record the Commercial bid. After both the Technical bid & Commercial bid have been saved, vendor has to click on the "Final submission" button to register the bids.

f) विक्रेताओं को दस्तावेज अपलोड करने के लिए "Attach Doc" बटन का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। एकाधिक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

f) Vendors are instructed to use the "Attach Doc" button to upload documents. Multiple documents can be uploaded.

g) सभी मामलों में, विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियों को जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।

g) In all cases, vendors are advised to use their own ID and Password along with Digital Signature at the time of submission of their bids.

h) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुप्त रहेंगे।

h) During the entire e-tender process, the vendors will remain completely anonymous to one another and to everybody else.



i) ई-निविदा फ्लोरपूर्व-घोषित तिथि और समय से खुला रहेगा और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

i) The e-tender floor shall remain open from the pre-announced date & time and for as much duration as mentioned above.

j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा इसे स्वीकार करना खरीददार और विक्रेता के बीच आपूर्ति के निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगा।

j) All electronic bids submitted during the e-tender process shall be legally binding on the vendor. Any bid will be considered as the valid bid offered by that vendor and acceptance of the same by the Buyer will form a binding contract between Buyer and the Vendor for execution of supply.

k) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएँ अन्यथा सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।

k) It is mandatory that all the bids are submitted with digital signature certificate otherwise the same will not be accepted by the system.

l) खरीदार बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार रखता है।

l) Buyer reserves the right to cancel or reject or accept or withdraw or extend the tender in full or part as the case may be without assigning any reason thereof.

m) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।

m) No deviation of the terms and conditions of the tender document is acceptable. Submission of bid in the e-tender floor by any vendor confirms his acceptance of terms & conditions for the tender.

n) इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

n) Any order resulting from this tender shall be governed by the terms and conditions mentioned therein.

o) निविदा आमंत्रित प्राधिकारी के पास इसके कारणों को बताए बिना इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तिथि को बढ़ाने का अधिकार है।

o) The tender inviting authority has the right to cancel this e-tender or extend the due date of receipt of bid(s) without assigning any reasons thereof.

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए विक्रेता गाइड को पढ़ें और पृष्ठ <https://etenders.gov.in/eprocure/app> में वीडियो देखें।

Vendors are requested to read the vendor guide and see the video in the page <https://etenders.gov.in/eprocure/app> to familiarize them with the system before bidding.



भाग-I / PART I

भारतीय रिजर्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA

अगरतला / AGARTALA

(नियम और शर्तें और तकनीकी विनिर्देश / Terms and conditions and Technical Specifications)

किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को पैनलबद्ध के लिए ई-निविदा

E-Tender for Empanelment of vendors for Annual Service Contract for supplying cars on hire

RBI/Agartala/HRMD/26-27/2

जारी किया गया: Issued to: _____

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 14 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक

Last date for Submission : October 14, 2026, up to 02:00 PM

भाग-I खुलने की तिथि : 15 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 03:00 बजे

Date of Opening of Part - I: October 15, 2026, at 03:00 PM



अनुभाग- III-बोलीकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश और पूर्व-पात्रता मानदंड
Section – III – General Instructions to Bidders and Pre-eligibility Criteria

Criteria	Requirement
1. टेंडर का दायरा और सामान्य जानकारी Scope of Tender and general information	भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को किराये वास्तविक आधार पर विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध एक साल की प्रारंभिक अवधि यानी 1 नवंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2027 तक के लिए होगी। हालांकि, अनुबंध को दो साल की एक और अवधि, एक समय में एक वर्ष, या ऐसी अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसे बैंक संतोषजनक प्रदर्शन और निविदाकर्ता द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन आवश्यक समझेगा। Annual Service Contract for supplying cars to Reserve Bank of India, Agartala on hire for various official requirements on actual basis for an initial period of one year i.e. from November 01, 2026 to October 31, 2027. However, the Contract can be further extended for a further period of two more years, one year at a time, or such other period as the Bank may consider necessary subject to satisfactory performance and adherence to Contractual obligations by the tenderer.
2. पिछले अनुभव की अवधि / Duration of Past experience	31 मार्च, 2026 तक सरकारी/अर्ध-सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ परिवहन सेवा के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निविदाकर्ताओं को पिछले 3 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, निष्पादित कार्य का मूल्य, कार्य शुरू करने और पूरा करने की तारीख, देरी के कारण, यदि कोई हो, आदि जैसे विवरण शामिल होंगे। निविदाकर्ता को न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। Should have a minimum of 3 years of experience in the field of transport service with Government/semi-governments/ Public Sector Undertakings, Banks, MNCs, as on March 31, 2026. Tenderers should furnish their client list showing the details of work carried out by them during the last 3 years. The list shall include details such as Name of Client, Value of Work executed, Date of Starting and Finishing of the work, Reasons of delay, if any, etc. The Tenderer should submit

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	documentary evidence in support of minimum experience of 3 years.
3. वार्षिक कारोबार / Yearly Turnover	31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100% या उससे अधिक का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। तुलन पत्र के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र, विधिवत प्रमाणित, निविदा के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बैलेंस शीट और कारोबार के संबंध में सीए प्रमाण पत्र के बिना कोई भी निविदा दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। Should have an average annual turnover of 100% of the Estimated Cost or more during the last three financial years ended March 31, 2026. A Certificate from a Chartered Accountant, along with the Balance Sheet, duly certified, must be mandatorily submitted along with the tender. Any tender document without the Balance Sheet and a CA certificate regarding the turnover will be rejected.
4. सेवा स्थापना / Service set-up	निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट कार्य के लिए अगरतला में एक पूर्ण सेवा स्थापना के समर्थन में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। A certificate would be submitted in support of having a full-fledged service set-up in Agartala, for the job specified in the Tender documents.
5. कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण Details of Company/ Firm/Agency	कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूरा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। कंपनी के मामले में, कंपनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र, कंपनी का ज्ञापन और संघ के लेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, मुख्तारनामा, यदि कोई हो और, फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण के साथ नाम और पते आदि प्रस्तुत किए जाने हैं। The full particulars of the Company/Firm/Agency are required to be submitted. In case of a company, the certificate of registration, Memorandum and Articles of Association of the Company and other relevant documents and particulars of all the directors and responsible officials are required to be submitted. In case of a partnership firm, the partnership deed, power of attorney, if any and, particulars of all the partners constituting the firm and in case of an agency or proprietorship, the particulars of the individual/individuals involved therein along with the



	names(s) and address(es) etc., are to be submitted.
6. ठेकेदार की ऋण पात्रता / Credit worthiness of the Contractor	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित बोलीदाता के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों की एक प्रति के साथ बैंकरों से ऋण पात्रता प्रमाण पत्र के साथ आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र / आयकर मूल्यांकन आदेश की प्रतियां उनकी वित्त वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए कारोबार और ऋण योग्यता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। Copies of the Income Tax Clearance Certificates / Income Tax Assessment Orders along with creditworthiness certificate from the bankers with a copy of the latest final accounts of the business of the bidder duly certified by a Chartered Accountant should be submitted as proof of their credit worthiness and turnover for last three years ending FY March 31, 2026.
7. बैंकर और उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी का नाम और पता / Name and Address of the Banker and their present contact executive	निविदाकर्ताओं के बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ संपर्क अधिकारियों (यानी, वे व्यक्ति जिनसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनके बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) का पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन और मोबाइल) आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (अनुलग्नक-1 को भरा और जमा किया जाना है)। Written information about the names and addresses of the bankers of Tenderers along with full details, like names, postal addresses, e-mail IDs, telephone nos. (Landline and mobile) etc., of the contact executives (i.e., the persons who can be contacted at the office of their banker by RBI in case it is so needed) should be submitted. (Annex-I to be filled and submitted)
8. बैंक खातों का विवरण / Details of Bank Accounts	निविदाकर्ताओं के बैंक खातों का पूरा विवरण जैसे बैंक शाखा का पता, आईएफएस कोड, खाता संख्या और प्रकार, खोले जाने पर आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिए। Full particulars of the bank accounts of the Tenderers like the bank branch address, IFS Code, account number and type, when opened, etc., should be submitted.
9. ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते / Names and addresses	ग्राहकों के नाम और पते जैसे ई-मेल आईडी, टेलीफोन नंबर आदि के बारे में लिखित जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए। Written information about the names and addresses of the clients like e-mail IDs, telephone numbers, etc., should be submitted.

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



of the clients and their present contact executives	
10. कार्य का विवरण / Details of Work	निष्पादित, प्रदान किया गया, निष्पादित कार्य की वास्तविक लागत, अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम, पते और संपर्क विवरण जिनके तहत कार्य निष्पादित किया गया था, प्रस्तुत/जमा किया जाना चाहिए। The client wise type of work executed, awarded, actual cost of executed work, names, addresses and contact details of officers/ authorities/ departments under whom the work was executed should be furnished/submitted.
11. जमा किए जाने वाले दस्तावेज Documents to be submitted	a) व्यापार लाइसेंस / Trade License b) दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण / Registration under Shops and Establishment Act c) ग्राहकों से प्रतिक्रिया / Feedback from clients (Annex – II) d) विवरण, जैसे मॉडल, पंजीकरण, बीमा, खरीद की तारीख आदि के साथ वाहनों की सूची / List of vehicles with details, viz. model, registration, insurance, date of purchase, etc. (अनुलग्नक / Annex – IV) e) 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 3 लेखा वर्षों के लिए लेखापरीक्षित या चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणित खातों का विवरण। (किराए पर वाहनों की आपूर्ति के माध्यम से कारोबार को अलग से इंगित करते हुये) Audited or Chartered Accountant certified statement of accounts for the last 3 accounting years ending March 31, 2026. (Indicating separately turnover through supply of vehicles on hire) f) आयकर विभाग के पास पिछले तीन वर्षों के लिए 31 मार्च, 2026 तक दाखिल आयकर रिटर्न की प्रतियां। Copies of Income Tax Return filed with the Income Tax Department for last three years, up to March 31, 2026. g) लागू कर जैसे, पैन, टीआईएन, जीएसटी, आदि के पंजीकरण की प्रतियां / Copies of applicable tax registrations, viz, PAN, TIN, GST, etc. h) संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां। Copies of Registration Certificates of the Company/ firm/agency issued by the relevant authority.

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



12. पंजीकरण / Registrations	3.3 अलग-अलग पंजीकरण जैसे PAN, GST, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, EPF पंजीकरण, नए लेबर कोड के तहत दुकानों और प्रतिष्ठान पंजीकरण की प्रति दस्तावेज़ी प्रमाण के तौर पर जमा करनी होगी। Copy of various registrations such as PAN, GST, Employee State Insurance Act, EPF registration, Shops and establishment registration under new Labour Codes must be submitted as documentary evidence. 3.4 बैंक खातों की विवरण और Neft के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने का वचन। उनके बैंक खातों की पूरी जानकारी, जैसे खातासंख्या, प्रकार, कब खोला गया, IFSC कोड वगैरह दी जानी चाहिए। टेंडर देने वाली फर्मों/कंपनियों का अनुसूचित बैंकों में करंट अकाउंट होना चाहिए और उन्हें यह अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि वे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) से पेमेंट लेने के लिए तैयार हैं। 3.4 Details of Bank accounts & undertaking for receiving payments through NEFT. Full particulars of their Bank accounts, like account No., type, when opened, IFSC Code etc. should be given. Tendering firms/companies should have current account in scheduled Banks and should give an undertaking that they are ready to receive the payments through National Electronic Funds Transfer (NEFT).
13. निविदा दस्तावेज़ का स्पष्टीकरण, बोली-पूर्व बैठक Clarification of Tender document, Pre-bid meeting	1.1 इस दस्तावेज़ पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता रखने वाले निविदाकर्ता को इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर लिखित रूप में बैंक से संपर्क करना होगा या बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछताछ करनी होगी। A tenderer requiring any clarification on this document shall contact the Bank in writing at the email address mentioned in this document or raise enquiries during the Pre-bid meeting. बोली-पूर्व बैठक 01 अक्टूबर, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरणी, अगरतला – 799 001 में आयोजित की जाएगी। बोलीदाता इस दस्तावेज़ में दिए गए संपर्कों के अनुसार टेलीफोन पर या व्यक्तिगत रूप से भी मुद्दों को स्पष्ट कर सकते हैं। The Pre-Bid meeting will be conducted on October 01, 2026, at Reserve Bank of India, 2nd Floor Jackson Gate

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	Building, Lenin Sarani, Agartala – 799 001. Bidders may also clarify the issues telephonically or in person as per the contacts furnished in this document.
14. निविदा दस्तावेज में संशोधन Amendment of Tender Document	1.2 निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि से किसी भी समय पहले, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in)/ सीपीपी पोर्टल पर संशोधन / शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है। At any time prior to the deadline for submission of Tenders, the Bank may amend this document by issuing amendments / corrigendum on RBI website (www.rbi.org.in)/ CPP portal. 1.3 जारी किया गया कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का एक हिस्सा होगा। Any amendments / corrigendum issued shall be a part of this document. 1.4 भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने में किसी भी / सभी संशोधनों / शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक पर, निविदाएं प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ा सकता है। To give prospective tenderers reasonable time in which to take any / all amendments / corrigendum into account in preparing their Bids, the Bank may, at its discretion, extend the deadline for the submission of Tenders.
15. निविदा की लागत / Cost of Tendering	a. निविदाकर्ता अपनी निविदा की तैयारी और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो। The tenderer shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Tender, and the Bank shall not be responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the Tendering process.
16. निविदा से जुड़े दस्तावेज / Documents Comprising the Tender	a. निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे: • निविदा आमंत्रित करने की सूचना • तकनीकी बोली विवरण • वित्तीय बोली विवरण • बयाना राशि The Tender shall comprise the following:

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	• Notice Inviting Tender • Technical Bid Details • Financial Bid Details • Earnest Money Deposit • Performance Bank Guarantee to be furnished after award of contract by the successful tenderers. • Contract Agreement (after award of contract to the successful tenderers).
17. निविदा सुरक्षा और लेनदेन शुल्क के रूप में ईएमडी EMD as Tender Security and Transaction Fee	इच्छुक निविदाकर्ताओं को केवल एनईएफटी / नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान की गई ₹22,000/- (रुपये बाईस हजार मात्र) की राशि जमा करनी होगी। Intending tenderers has to deposit a sum of ₹22,000/- (Rupees Twenty-two Thousand Only) paid through <u>NEFT/ Net banking only.</u> Beneficiary Name- Reserve Bank of India Beneficiary A/c No – 8614038 IFSC - RBIS0AGPA01(5th and 10th digit is Zero) लाभार्थिकानाम- भारतीयरिजर्वबैंक लाभार्थिखातासंख्या – 8614038 आईएफएससी - RBIS0AGPA01(5वां और 10वां अंक शून्य है) निविदाकर्ताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी जमा करने की आवश्यकता होती है। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा। Tenderers need to submit necessary EMD to be eligible to bid online in the e-tender. Transaction fees is non-refundable. No interest will be paid on EMD. EMD of the unsuccessful vendor(s) will be refunded by the tender inviting authority. ईएमडी के बिना निविदाएं (यदि छूट नहीं दी गई है) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी। Tenders without EMD (if not exempted) will not be accepted under any circumstances.

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	लनदेन शुल्क – शून्य /Transaction fee - NIL
18. निविदापत्र / Letter of Tender	निविदाकर्ता बिना किसी बदलाव के ई- निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर वर्ग 3 का उपयोग करके निविदा जमा करेगा। सभी रिक्त स्थान मांगी गई जानकारी से भरे जाएंगे। The tenderer shall submit the Tender using the digital signature class 3 via e-tendering process without any alterations. All blank spaces shall be filled in with the information requested.
19. निविदाकर्ता की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज़ Documents Establishing the qualifications of the Tenderer	a. अनुभाग - III (पैरा 3) के अनुसार अनुबंध करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए, निविदाकर्ता अनुभाग- VI (मानक प्रारूप) में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करेगा। To establish its qualifications to perform the Contract in accordance with अनुभाग- VI the tenderer shall provide the information in the format prescribed in Section- VI (Standard Formats).
20. निविदा की वैधता की अवधि Period of validity of Tenders	a. निविदा की वैधता अवधि तकनीकी बोली खुलने की तारीख से 90 दिन होगी। The Tender validity period shall be 90 days from the date of opening of technical bid. असाधारण परिस्थितियों में, निविदा की वैधता की अवधि खत्म होने से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से उनके निविदा की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। यह अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में होने चाहिए। In exceptional circumstances, prior to the expiration of the Tender validity period, the Bank may request tenderers to extend the period of validity of their Tenders. The request and the responses shall be made in writing.
21. निविदाओं का प्रस्तुतीकरण और अंकन Submission and Marking of Tenders	a. इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। Tenderers submitting Tenders electronically shall follow the electronic Tender submission procedures specified in the Instructions regarding E-Tender. b. निविदाकर्ता "तकनीकी बोली" (भाग-I) में बताए गए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप (भाग-II, अनुभाग -

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	VII) में अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तिथि पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी। अपूर्ण निविदाओं को संक्षेप में खारिज कर दिया जाएगा। The tenderers may submit online their Financial Bid (competitive rates) in prescribed format (Part-II, Section - VII) along with copies of necessary documents as indicated in the "Technical Bid" (Part-I). E-Tender with all information shall be submitted on or before the prescribed time and date. Incomplete Tenders will be summarily rejected. c. निविदाकर्ता अनुभाग - VII में उल्लिखित सभी घटकों को शामिल करते हुए दरों को उद्धृत करेंगे। The tenderers shall quote rates inclusive of all components factored as mentioned in Section - VII. d. यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा अस्वीकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। If desired / prescribed information is not submitted, the Bank will assume no responsibility for rejection of Tender.
22. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि Deadline for Submission of Tenders	a. निविदा इस दस्तावेज़ में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज़ में इंगित तिथि और समय से बाद में नहीं। Tenders must be filled online through e-tendering process mentioned in this document, not later than the date and time indicated in this document. b. बैंक, अपने विवेक पर, निविदा दस्तावेज़ में संशोधन करके निविदा प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है। The Bank may, at its discretion, extend the deadline for the submission of Tenders by amending the Tender Document.
23. प्रति बोली एक बोलीदाता One Bid per Bidder	a. प्रत्येक बोलीदाता या तो स्वयं या संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में या संघ के सदस्य के रूप में केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता या यदि संयुक्त उद्यम में भागीदारों में से कोई भागीदार या संघ के सदस्यों में से कोई एक से अधिक बोलियों में भाग लेता है, तो बोलियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।



	Each bidder shall submit only one tender either by himself or as a partner in joint venture or as a member of consortium. If a bidder or if any of the partners in a joint venture or any one of the members of the consortium participate in more than one bid, the bids are liable to be rejected.
24. देर से प्राप्त निविदाएँ Late Tenders	a. समय सीमा के बाद पोर्टल पर कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। No Tender after the deadline shall be allowed on the portal.
25. निविदा खोलना Tender Opening	a. बैंक निविदा (भाग-I) को अधिसूचित तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलेगा। भाग- II उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग-I में अर्हता प्राप्त करते हैं। भाग-II के खुलने की तारीख सफल बोलीदाताओं को उनके वैध ईमेल पते पर ईमेल द्वारा अधिसूचित की जाएगी। The Bank shall open the Tender (Part-I) electronically on the notified date. Part-II will be opened for those bidders who qualify in Part-I. Date of opening of Part-II will be notified by email to the successful bidders on their valid email address.
26. गोपनीयता / Confidentiality	a. निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या ऐसी प्रक्रिया से आधिकारिक तौर पर संबंधित नहीं होने वाले किसी अन्य व्यक्ति को तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि अनुबंध प्रदान करने की जानकारी सभी निविदाकर्ताओं को नहीं दी जाती है। Information relating to the evaluation of Tenders shall not be disclosed to tenderers or any other person not officially concerned with such process until information on Contract award is communicated to all tenderers.
27. निविदाओं का स्पष्टीकरण / Clarification of Tenders	a. निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना और निविदाकर्ताओं की योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी निविदाकर्ता से उसके निविदा के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, जवाब देने के लिए उचित समय की अनुमति देता है। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक द्वारा की गई पूछताछ के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक द्वारा स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और जवाब लिखित में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा निविदा की कीमतों या सार में कोई बदलाव नहीं मांगा, पेश या अनुमति दी जाएगी। To assist in the examination, evaluation, comparison

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	of the Tenders and qualification of the tenderers, the Bank may, at its discretion, ask any tenderer for a clarification of its Tender, allowing a reasonable time for response. Any clarification submitted by a tenderer that is not in response to a request by the Bank shall not be considered. The Bank's request for clarification and the response shall be in writing. No change in the prices or substance of the Tender shall be sought, offered, or permitted, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the Bank in the evaluation of the Tenders. b. यदि कोई निविदाकर्ता बैंक के स्पष्टीकरण के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है। If a tenderer does not provide clarifications of its Tender by the date and time set in the Bank's request for clarification, its Tender shall be liable to be rejected.
28. निविदाओं का मूल्यांकन / Evaluation of Tenders	a. बैंक अनुलग्नक- IV में इंगित मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग करेगा। The Bank shall use the evaluation criteria indicated in Section IV.
29. निविदाकर्ता की योग्यता / Qualification of the Tenderer	a. बैंक अपनी संतुष्टि के लिए निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकर्ता अनुलग्नक-VI के अनुसार अर्हता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। The Bank shall determine, to its satisfaction, whether the selected tenderer meets the qualifying criteria in accordance with Section VI.
30. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार Bank's Right to Accept Any Tender, and to Reject Any or All Tenders	a. बैंक के पास किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार है, जिससे निविदाकर्ताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा या इसका कोई भी कारण बताए बिना होगा। इसके अलावा सशर्त बोलियों को सीधे खारिज कर दिया जाएगा। The Bank reserves the right to accept or reject any tender, and to annul the Tendering process and reject all Tenders at any time prior to contract award, without thereby incurring any liability to tenderers or assigning any reason thereof. Further the conditional bids shall be rejected outrightly.



31. अनुबंध प्रदान करने के लिए मानदंड / Criteria for Award of Contract	a. बैंक अनुभाग -IV (बोली मूल्यांकन मानदंड) में दिए गए मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर निविदाकर्ता को सूचीबद्ध करेगा। The Bank shall shortlist the tenderer based on the evaluation criteria detailed in Section IV (Bid Evaluation Criteria).
32. अनुबंध प्रदान करने की अधिसूचना / Notification of Award of Contract	निविदाकर्ता जो तकनीकी मूल्यांकन को अर्हता प्राप्त करते हैं और बैंक द्वारा पेश किए गए समान मूल्य चार्ट को स्वीकार करते हैं, उन्हें निविदा प्रदान की जाएगी। The tenderers who qualifies the Technical Evaluation and accept Uniform Price Chart offered by the Bank shall be awarded the tender. a. जब तक औपचारिक अनुबंध तैयार और निष्पादित नहीं हो जाता, तब तक प्रदान की अधिसूचना एक बाध्यकारी अनुबंध होगी। सफल निविदाकर्ता कार्य की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर पूरे कार्य को संभालने के लिए तैयार रहेगा। Until a formal contract is prepared and executed, the notification of award shall constitute a binding Contract. The successful tenderer shall be ready to take over entire work within 7 days of notification of award of work.
33. अनुबंध पर हस्ताक्षर करना Signing of Contract	a. सफल निविदाकर्ता कार्य के प्रदान किए जाने के 15 दिनों के भीतर (त्रिपुरा राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क के बराबर मूल्य के) स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेगा। करार किया जाएगा और दोनों दस्तावेजों पर आवश्यक स्टाम्प शुल्क की लागत केवल ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। The successful tenderer shall execute an agreement with the Bank on stamp paper (having worth equal to applicable stamp duty in the state of Tripura) within 15 days of award of work. The Agreement shall be made on and the cost of necessary stamp duty on both the documents shall be borne solely by the Contractor. b. हालाँकि, बैंक द्वारा कार्य के प्रदान करने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी अनुबंध के रूप में माना जाएगा, मानो ऐसा समझौता निष्पादित किया गया है और इस अनुबंध पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। However, the issue of intimation of award of work by the Bank shall be considered as binding contract, as though such an agreement has been executed and all the terms and conditions shall apply on this contract.
34. निष्पादन सुरक्षा / Performance Security	a. सफल निविदाकर्ता अनुलग्नक-V में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अनुबंध मूल्य के 5% पर निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेगा। पीबीजी अनुबंध की अवधि से दो महीने से अधिक के लिए वैध होगा। यदि अनुबंध की अवधि आगे बढ़ाई जाती है, तो निष्पादन बैंक गारंटी की वैधता भी ठेकेदार द्वारा तदनुसार बढ़ाई जाएगी और बिना किसी देरी के बैंक को प्रदान की जाएगी। निविदा प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (e-BG) को भी बैंक गारंटी के एक वैध स्वरूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। The successful tenderer shall furnish along with the contract the Performance Bank Guarantee (PBG) @ 5% of the contract value as per the proforma given in Annex – V. The PBG shall be valid for two months beyond the period of contract. In case the contract period is extended further, the validity of Performance Bank Guarantee shall also be extended by the Contractor accordingly and provided to the Bank without any delay. e-BGs are also accepted as a valid form of bank guarantee for the tender process. b. सफल निविदाकर्ता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विफलता, अनुबंध को रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और ऐसे निविदाकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पर्याप्त आधार होगी। Failure of the successful tenderer to submit the Performance Bank Guarantee shall constitute sufficient grounds for the annulment of the contract, forfeiture of the EMD and blacklisting of such tenderer. निविदा में निर्धारित अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी की प्रस्तुति सुनिश्चित की जाएगी। अपरिहार्यपरिस्थितियों में प्रस्तुति में देरी होने की स्थिति में, बैंक गारंटी की प्रस्तुति में देरी के लिए बैंक दर पर ठेके दारके बिलों से शुल्क वसूला जाएगा। Submission of Performance Bank Guarantee shall be ensured as stipulated in the tender. In case of delays in submission in unavoidable circumstances, charges for delay in submission of Bank Guarantee shall be recovered from the bills of the contractor at Bank rate.
--	---

नोट: / Note:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकार के पिछले प्रदर्शन पर उसके ग्राहकों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके/ उनके ग्राहकों और/या उनके बैंकरो की रिपोर्ट से प्राप्त उनकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक उसके निविदा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



अधिकार सुरक्षित रखता है। RBI shall obtain reports on the past performance of the Tenderer from his/ their clients and shall evaluate the said reports as per the evaluation criteria before opening of the Part- II of the tenders. If any tender is not found to possess the required eligibility for participating in the tendering process at any point of time and/or his/their performance reports received from his/their clients and/or his bankers' report are found unsatisfactory, RBI reserves the right to reject his tender offer.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसके लिए कोई कारण बताए बिना सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। RBI is not bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept either in full or in part any tender and also reserves the right to reject all the tenders without assigning any reasons thereof.
3. सीपीपी पोर्टल में अपलोड करते समय प्रत्येक निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मुहर के साथ) करना होगा। Every tenderer has to **sign (with stamp) each and every page of tender document and upload** the same in CPP portal.



अनुभाग – IV / Section – IV / बोली मूल्यांकन मानदंड / Bid Evaluation Criteria

A. तकनीकी बोली मूल्यांकन / Technical Bid Evaluation

तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन सीपीपी पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार दी गई जानकारी का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकों के अनुसार किया जाएगा: मानदंड (अधिकतम अंक - 100): The Technical Bids shall be evaluated based on the available documents submitted by the bidder on CPP Portal. The information so given will be evaluated as per the following marks

criteria (Maximum Marks - 100):

(नोट: निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी का खुलासा निविदाकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है को नहीं किया जाएगा।) (Note: Information relating to the evaluation of tenders shall not be disclosed to tenderers or any other persons not officially concerned with such process.)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	सीमा / Range	अंक / Marks
1	बेड़े का आकार (नियम और शर्तों में निर्दिष्ट मॉडल) Size of fleet (models specified in terms and conditions)	25 से अधिक / More than 25 10 to 25 5 to 10	20 (अधिकतम / Maximum) 15 10
2	किराए पर वाहन उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अनुभव Experience in the field of providing vehicles on hire	5 साल से अधिक / More than 5 years 3 से अधिक से 5 साल तक / Above 3 to 5 Years 1 से 3 साल / 1 to 3 Years	20 (अधिकतम / Maximum) 15 10
3	निविदा के लिए अधिसूचित की गई न्यूनतम 5 वाहनों के बेड़े की औसत आयु Average age of fleet of minimum 5 vehicles notified for tender	2 साल से कम / Less than 2 years 2 से 4 साल / 2 to 4 years 4 साल से अधिक / More than 4 years	20 (अधिकतम / Maximum) 15 10

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



4	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में औसत कारोबार Average turnover in the last 3 financial years	₹40 लाख से अधिक / More than ₹40 lakhs ₹20 लाख से अधिक से ₹40 लाख तक Above ₹20 lakhs to ₹40 lakhs ₹10 लाख से अधिक से ₹20 लाख तक ₹10 lakhs to ₹20 lakhs	20 (अधिकतम / Maximum) 15 10
5	वर्तमान कॉर्पोरेट ग्राहकों की संख्या / Number of current corporate clients	5 से अधिक / More than 5 3 to 5 1 to 2	20 (अधिकतम / Maximum) 15 10
	कुल अंक / Total Marks		

नाभिकायन के लिए विचार किए जाने हेतु न्यूनतम कट-ऑफ अंक 50 हैं। / Minimum Cut-off marks for being considered for empanelment is 50.

B. वित्तीय बोली मूल्यांकन / Financial Bid Evaluation

a) तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया को अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दर अन्य सभी तकनीकी मूल्यांकन सफल निविदाकारों के लिए लागू होगी। उपरोक्त में से केवल ऐसे निविदाकारों को पैनल के लिए माना जाएगा जो वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए दी जाने वाली सबसे कम दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत होते हैं।

The lowest rate quoted under each category of vehicles by tenderers who qualify the Technical Evaluation process shall be applicable for all other Technical Evaluation successful tenderers. Only such tenderers among above shall be considered for empanelment who agree in writing to work at the lowest rates offered for each category of vehicle.

b) उद्धृत दरें निविदा के भाग- II पर आधारित होंगी और संपूर्ण अनुबंध अवधि तक बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होंगी। The rates quoted shall be based on the Part-II of tender and shall be firm and binding without any Escalation whatsoever till the entire Contract period.

c) तकनीकी मूल्यांकन के सफल निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए सबसे कम दरों के आधार पर बैंक द्वारा तैयार किया गया समान मूल्य चार्ट लिखित रूप में स्वीकृति के लिए उनके साथ साझा किया जाएगा। The Uniform Price Chart prepared by the Bank, on the basis of lowest rates for each category of vehicle as quoted by successful tenderers of Technical Evaluation, shall be shared with them for acceptance, in writing.

d) वित्तीय बोली के लिए कोई नियम और शर्तें इंगित नहीं की जानी चाहिए अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा। No terms and conditions should be indicated for the Financial Bid otherwise the same will be

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



treated as invalid.

किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को पैनलबद्ध के लिए ई-निविदा

E-Tender for Empanelment of vendors for Annual Service Contract for supplying cars on hire

अनुभाग - V - कार्य का दायरा और समझौते के नियम और शर्तें

Section V - Scope of Work and Terms and Conditions of the agreement

1. बैंक द्वारा / बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर विक्रेता चालक-चालित वाहन (वित्तीय बोली में उल्लिखित वाहन के प्रकार -वातानुकूलित) प्रदान करेगा और सभी वाहनों के पास वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकरण होना चाहिए।
2. निविदाकर्ताओं के पास विभिन्न क्षमताओं के कम से कम तीन वाहनों (कुल मिलाकर) का बेड़ा होना चाहिए (स्विफ्ट डिजायर या इसी तरह की श्रेणी की कार)।
3. सभी वाहनों में अंदरूनी हिस्सा, असबाब, अच्छी तरह से बनाए रखा बाहरी और शोर रहित ड्राइव होना चाहिए।
4. सभी वाहनों में क) एक समाचार पत्र, ख) प्रति दिन 500 मिलीलीटर के ब्रांडेड पैकेज्ड पेयजल की दो बोतलें सी) फेस टिशू पेपर डी) छाता, ई) अग्निशामक यंत्र और च) आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट होना चाहिए।
5. निविदाकर्ता के पास अगरतला में अपना कार्यालय और गेराज स्थान होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस उद्देश्य के लिए तैनात वाहनों के लिए बैंक द्वारा पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।
6. वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ट्रैफिक कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण निविदाकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
7. तैनात वाहन चालकों को अच्छे ड्राइविंग रिकॉर्ड के साथ उचित अनुभव होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे मार्ग पर वाहनों की मामूली मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए।
8. चालक को साफ वर्दी में निर्दिष्ट समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। उन्हें साफ़-सुथरा होना चाहिए और हर समय विनम्र, तहज़ीब वाला और सेवा करने वाला होना चाहिए।
9. वाहन चालकों को अपने साथ मोबाइल फोन रखना चाहिए और फोन नंबर भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
10. प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे बीमा, पंजीकरण प्रमाण पत्र, सड़क कर, प्रदूषण, परमिट,

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



वैध लाइसेंस आदि प्रत्येक वाहन में/चालकों के पास आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।

11. निविदाकर्ता फोन पर मौखिक या लिखित निर्देशों पर उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर वाहन प्रदान करेगा। निविदाकर्ता को बैंक से अल्प सूचना पर वाहन प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी। यदि निविदाकर्ता हमारे अनुरोध पर वाहन प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक निविदाकर्ता के अनुबंध को रद्द करने और बिना किसी सूचना के उसे पैनल से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. निविदाकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के नोडल व्यक्ति को बिना किसी असफलता के पहले से ही प्रत्येक बुकिंग के लिए वाहन विवरण यानी वाहन के प्रकार, पंजीकरण संख्या, चालक का नाम आदि की पुष्टि करनी चाहिए और समय-समय पर बैंक में रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए।

13. आरबीआई, अगरतला द्वारा मांग किए जाने पर चालक को हमेशा वाहनों के साथ उपलब्ध रहना चाहिए। उसे ड्यूटी स्लिप विवरण भरना सुनिश्चित करना चाहिए जैसे कि कि.मि. रीडिंग के साथ गैरेज आउट टाइम, कि.मि. रीडिंग के साथ रिलीज का समय, पार्किंग/टोल शुल्क आदि, और इस पर अतिथि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

14. निविदाकर्ता द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आरबीआई अनुबंध की समाप्ति के बाद सफल बोलीदाता द्वारा तैनात किसी भी कार्मिक को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा। अनुबंध के तहत किसी भी कार्य के लिए कर्मियों की नियुक्ति के आधार पर आरबीआई में किसी भी रोजगार का कोई अधिकार अर्जित या उत्पन्न नहीं होगा।

15. निविदाकर्ता द्वारा नियुक्त वाहन चालकों /कर्मचारियों को बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पालन करना होगा और वाहनों/व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

16. (a) सफल निविदाकर्ता मंजूरी का पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्टैम्प पेपर पर बैंक के साथ एक समझौते (अनुलग्नक – VI) को निष्पादित करेंगे। हालांकि, बैंक द्वारा मंजूरी का पत्र जारी करने को बाध्यकारी अनुबंध के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के समझौते को निष्पादित किया गया है और सभी नियमों और शर्तें इस अनुबंध पर लागू होंगी। आम तौर पर, निविदा एक वर्ष तक वैध होगी। अनुबंध को दो साल की अवधि के लिए समाप्त होने के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक समय में एक-एक वर्ष,

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



संतोषजनक प्रदर्शन और समान नियमों और शर्तों पर वार्षिक समीक्षा के अधीन, पारस्परिक स्वीकृति पर दरों में परिवर्तन को छोड़कर।

(b) स्टॉप शुल्क निविदाकर्ता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

17. निविदाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली दरें और बैंक द्वारा स्वीकृति, एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी, उसके बाद अनुबंध के नवीकरण के समय उनकी समीक्षा की जा सकती है, बशर्ते श्रम कानूनों/श्रम संहिताओं या ईंधन मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले सरकारी निर्णय आदि में कोई बड़ा परिवर्तन हो। हालांकि, यह केवल महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), आरबीआई, अगरतला की अनुमति से ही किया जा सकता है।

18. सेवाओं में कमियों और बैंक और उसके अधिकारियों या जिन्हें बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, के कारण होने वाली गंभीर असुविधा के लिए, संबंधित मामले के लिए अनुमानित बिल के 25% से अधिक नहीं का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, बैंक इसे उचित नोटिस देने के बाद ही लगाएगा। विवाद के मामले में महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को अपील की जा सकती है, जिनका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

19. निविदाकर्ता को अपने वाहन (वाहनों) के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। विफलता के मामले में, निविदाकर्ता इस संबंध में किए गए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा। ऐसा मुआवजा उपरोक्त पैराग्राफ 18 के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माना के अतिरिक्त हो सकता है। जुर्माना और मुआवजा, यदि कोई हो, निविदाकर्ता के बाद के बिलों से काट लिया जाएगा।

20. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं से भी शिकायतों के लिए कोई गुंजाइश न हो। निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई कारों/वाहनों में, अनुलग्नक - III ([Annex - III](#)) के अनुसार फीडबैक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।

21. सफल बोलीदाता इस अनुबंध के संबंध में भारत में कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। सफल बोलीदाता हर साल रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण की पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और उसके संबंध में सफल बोलीदाता के कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देयता, जो उत्पन्न हो सकता है, के खिलाफ आरबीआई को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देगा।



22. यदि ठेकेदार उस श्रेणी की कार प्रदान करने में सक्षम नहीं है जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो वह वाहन की उच्च श्रेणी प्रदान कर सकता है। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा।

23. ठेकेदार उपरोक्त कार्य के लिए श्रमिकों को नियुक्त करते समय ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संहिता, 2019, नए श्रम संहिताओं और लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

24. परिवहन प्रदाताओं द्वारा नियुक्त व्यक्ति ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और न तो ठेकेदार और न ही श्रमिकों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार होगा।

25. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रदान की गई टैक्सियां मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत पंजीकृत हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और नवीनतम सड़क सुरक्षा नियमों और विनियमों का भी पालन करेगा।

26. ठेकेदार उसके द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

27. अनुबंध प्रदान करना:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने पर सफल मूल्यांकन किए गए बोलीदाताओं को अनुबंध प्रदान करेगा।

ii. आरबीआई "प्रस्ताव पत्र" के माध्यम से अनुबंध देने के अपने निर्णय को सूचित करेगा।

iii. सफल बोलीदाताओं को उक्त "प्रस्ताव पत्र" जारी होने की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर एक करार निष्पादित करना होगा।

iv. सफल बोलीदाताओं को "प्रस्ताव पत्र" प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी की राशि अनुबंध मूल्य का 5% प्रस्तुत करना होगा। अनुलग्नक-V में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार।

v. बैंक गारंटी सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से 60 (60) दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

vi. यदि अनुबंध की अवधि को और बढ़ाया जाता है, तो बैंक गारंटी की वैधता भी सफल बोलीदाताओं द्वारा तदनुसार बढ़ाई जाएगी।

28. समान मूल्य चार्ट: प्राप्त निविदाओं में, वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए किसी भी निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत न्यूनतम दर ली जाएगी और बैंक द्वारा एक समान मूल्य चार्ट तैयार किया जाएगा। समान मूल्य चार्ट बैंक और इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। इस दर का उपयोग अनुबंध अवधि के दौरान सहमत दर के रूप में किया जाएगा। उदाहरण के लिए, समान मूल्य चार्ट नीचे के रूप में तैयार किया गया है।

i. A, B और C की वाहन श्रेणियों के लिए।

ii. निविदाकर्ता T1 ने A के लिए न्यूनतम दर 'x' के रूप में उद्धृत किया, T2 ने B के लिए सबसे कम दर 'y' और



T3 ने C के लिए सबसे कम दर 'z' उद्धृत किया।

iii. फिर समान मूल्य चार्ट इस प्रकार तैयार किया जाएगा,

A के लिए: ₹ 'x'

B के लिए: ₹ 'y'

C के लिए: ₹ 'z'

iv. ये दरें बैंक के लिए स्वीकृत दर होंगी और सफल बोलीदाताओं को स्वीकृति के लिए पेश की जाएंगी। एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, सफल बोलीदाता वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए स्वीकृत दर पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

29. प्रस्तुत निविदा पर संगठन के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। साझेदारी फर्म के मामले में, इस पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। कंपनी के मामले में, इस पर सक्षम प्राधिकारी/मुख्तारनामा धारक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अन्यथा, निविदा को बैंक द्वारा खारिज किया जा सकता है।

30. बैंक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के मामलों को छोड़कर, बिलों का भुगतान बिल पेश किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर और तीस दिनों से अधिक की देरी के बिना किया जाएगा। भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। सफल बोलीदाता को ईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए अधिदेश प्रस्तुत करना होगा। बैंक स्रोत पर लागू कर की कटौती करेगा और इस संबंध में त्रैमासिक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

31. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी देयता अधिनियम, 1938; बाल रोजगार अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, श्रम संहिता और उसके तहत समय-समय पर प्रकाशित नियम और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून जो उन पर लागू हो सकते हैं के लागू वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी उपरोक्त विधायी अधिनियमों के प्रावधानों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आगे आरबीआई, अगरतला को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के कारण होने वाले सभी चूक, दोष, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, नुकसान, चोट और व्यय से क्षतिपूर्ति रखेगा। उपरोक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों या इनके तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की विफलता के लिए, आरबीआई, अगरतला ऐसे दावों, मांगों, नुकसान या चोट के कारण उसे होने वाले किसी भी नुकसान या खर्च को ठेकेदार के मासिक भुगतान या ठेकेदार को देय किसी अन्य राशि से या बैंक गारंटी का आह्वान करके कवर करने का हकदार होगा।

32. यदि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी समय-समय पर लागू किए गए श्रम कानूनों/श्रम संहिताओं के प्रावधानों में से, जिसमें अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 या व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 शामिल है, किसी का उल्लंघन करता है, या कोई जानकारी प्रस्तुत करने में, या उक्त विनियमों और नियमों के प्रावधानों के तहत कोई बयान प्रस्तुत करने या भरने में जो भौतिक रूप से गलत है, तो वह किसी अन्य दायित्व के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) द्वारा निर्धारित राशि आरबीआई, अगरतला को भुगतान



करेगा। बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह बैंक गारंटी का इस्तेमाल करके या सफल टेंडर पाने वाले/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को देय किसी अन्य राशि से यह रकम वसूल कर ले।

33. कि सफल निविदाकर्ता / ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी/ एजेंसी, सफल निविदाकर्ता/ ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी/ एजेंसी द्वारा तैनात कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को क्षतिपूर्ति देगा। यदि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी का कोई कर्मचारी/कर्मि/प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के विवाद में प्रवेश करता है, तो सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह इसका विरोध करे। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को पक्ष बनाया जाता है और उसे मामले में भाग लेना है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को वकील शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा मांग पर भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य देयता भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला पर न आए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

34. यह कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी श्रम कानूनों/श्रम संहिताओं के प्रावधानों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आगे आरबीआई, अगरतला को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के कारण होने वाले सभी चूक, दोष, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, नुकसान, चोट और व्यय से क्षतिपूर्ति देगा। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों और/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी भी उप-नियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता, आरबीआई, अगरतला ऐसे दावों, मांग, नुकसान या चोट के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या खर्च की वसूली सफल निविदाकर्ता/ ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी/ एजेंसी के मासिक भुगतान और सुरक्षा धन जमा से करने का हकदार होगा। सफल निविदाकर्ता/ ठेकेदार/ फर्म/ कंपनी/ एजेंसी को मानक सुरक्षा प्रक्रिया और उपकरण का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके किसी भी कर्मचारी को कोई चोट न लगे। इस खाते पर कोई भी देयता पूरी तरह से एजेंसी की होगी।

35. **यौन उत्पीड़न:** सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करना होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी/कार्मिक/प्रतिनिधि के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत को आरबीआई द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर किया जाएगा और आरबीआई को शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

i. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/एजेंसी/एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

ii. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

iii. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी जो घटना में सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कर्मचारियों को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सफल



निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन दुराचार साबित होता है।

iv. सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके किसी भी कर्मचारी/कर्मियों/प्रतिनिधि को बैंक के परिसर में निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक प्रवेश या बने नहीं रहेंगे जब तक कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो और केटरकर/बैंक सुरक्षा अधिकारियों की अनुमति के साथ।

36. गैर-प्रकटीकरण खंड: सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी इस समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगी और हर समय इसे सख्त गोपनीयता में रखेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी बैंक/नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र में या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगी या प्रकट नहीं करेगी। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक/नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगी। उपरोक्त का पालन करने में विफलता सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक/नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों का पालन करने का हकदार होगा। सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की बाध्यताएं किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएंगी।

37. बलजबूरी: यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय, कोई भी पक्ष बलजबूरी के अधीन है, जिसे नागरिक अशांति, दंगे, हड़ताल, तूफान, ईश्वर के कार्य आदि के रूप में कहा जा सकता है, जो किसी भी पक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करने से रोक सकता है, तो प्रभावित पक्ष ऐसी घटना के बारे में तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे निष्पादन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। अनुबंध के तहत दायित्वों को घटना के समाप्त होने या अस्तित्व समाप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र ही फिर से शुरू किया जाएगा। यदि अनुबंध के तहत किसी दायित्व का निष्पादन पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से अधिक अवधि के कारण रोका या विलंबित होता है, यदि कोई हो, या सात दिन, जो भी अधिक हो, तो कोई भी पक्ष अपनी इच्छानुसार अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

38. अनुबंध की समाप्ति - कोई भी पक्ष लिखित में तीन स्पष्ट कैलेंडर माह की सूचना देकर समझौते को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। उपर्युक्त में निहित बातों के लिए पूर्वाग्रह के बिना, बैंक/नियोक्ता, बिना



कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के, लिखित नोटिस द्वारा तत्काल अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि-

- a) बैंक/नियोक्ता की राय में (जिसे सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी द्वारा प्रश्न में नहीं कहा जाएगा और सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी पर बाध्यकारी होगा) सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी बैंक की संतुष्टि के लिए अनुबंध को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है; और/या
- b) सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध की किसी भी नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है; और/या
- c) किसी भी कारण से, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए किसी भी कानून के तहत हकदार नहीं हो जाता है;
- d) बैंक से लिखित पूर्व अनुमति के बिना सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी में कोई भिन्नता है; और/या
- e) सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी को दिवालिया/दिवालिया घोषित किया जाता है, या उसके लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है या यदि उस पर संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लगाई जाती है या सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे या क्षति के रूप में बैंक/नियोक्ता से किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।

39. स्टाम्प शुल्क और अन्य कानूनी शुल्क - निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी अनुबंध के प्रदान के अनुसार समझौते के निष्पादन के लिए स्टाम्प शुल्क और/या अन्य कानूनी शुल्क वहन करेगी। समझौते को दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल प्रति को अपने पास रखेगा और निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी डुप्लिकेट प्रति को अपने पास रखेगी।

40. मध्यस्थता:

- (a) इस अनुबंध से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद और/या अंतर को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालाँकि, यदि विवाद संयुक्त चर्चाओं द्वारा हल नहीं किए जाते हैं, तो मामला एकमात्र मध्यस्थ को न्यायनिर्णयन के लिए भेजा जाएगा जिसे महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (b) एकमात्र मध्यस्थ का फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही समय-समय पर संशोधित भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित होगी। मध्यस्थता का स्थान आरबीआई, अगरतला होगा।
- (c) मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता और अनुबंध की चालू रहने के दौरान, कोई भी पक्ष मध्यस्थता के कारण विवाद से संबंधित कार्य/सेवा



को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा और विक्रेता को भुगतान अनुबंध के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

(d) इस अनुबंध से संबंधित सभी मामले केवल अगरतला की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

41. **भुगतान रोकना:** बैंक इस सीमा तक भुगतान रोक सकता है कि, यदि उसे उचित रूप से विश्वास है कि एजेंसी इस समझौते के अनुसार दायित्वों का उल्लंघन कर रही है। यदि उल्लंघन इस प्रकार का है कि उसका निवारण किया जा सकता है, तो एजेंसी को कमी के निवारण के लिए 07 (सात) दिनों का नोटिस दिया जाएगा। एक बार जब सेवा प्रदाता कमी को ठीक कर लेता है, तो बैंक इस कारण पर रोक की गई राशि वापस कर देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी रोकी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

42. **भाषा:** सभी दस्तावेजों सहित निविदा अंग्रेजी में होगी। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सफल निविदाकर्ता द्वारा किए जाने वाले समझौते को द्विभाषी, यानी हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। यदि निविदा दस्तावेज की हिंदी अंग्रेजी संस्करण से विरोधाभास करती है या अंग्रेजी संस्करण के अतिरिक्त या भिन्न शब्द शामिल हैं, तो अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

43. **कर:** उद्धृत कीमतें जीएसटी को छोड़कर होंगी, लेकिन इसमें केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए अन्य सभी कर, स्थानीय लेवी, कार्य अनुबंध कर आदि शामिल माने जाएंगे। यदि निविदाकर्ता निविदा में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

44. **अयोग्यता - गुम और अहस्ताक्षरित दस्तावेज़:** निविदा प्रपत्र केवल अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई भी दस्तावेज़ गायब है या हस्ताक्षर नहीं है, तो बैंक अपने विवेक पर निविदा को अमान्य मान सकता है।

1. The vendor will provide chauffeur-driven vehicles (Vehicle types as mentioned in Financial Bid–Air-conditioned) as and when requisitioned by the Bank/by a person authorized by the Bank and all the vehicles should have registration for commercial use.
2. Tenderers should have own fleet of at least three vehicles (in total) of various capacities (Starting from Swift Dzire or similar category car).
3. All vehicles must have clean interior, upholstery, well maintained exterior & noiseless drive.
4. All vehicles must have a) one newspaper, b) two bottles of branded packaged drinking water of 500 ml per day, c) face tissue papers, d) umbrella, e) fire extinguisher and f) first aid kit with essential medicines.
5. The Tenderer should have its office and garage space in Agartala. Please note that No parking arrangement will be made by the Bank for the vehicles deployed for the purpose.
6. The drivers should have valid driving license, which should be produced by them as and when demanded by traffic personnel. Renewal of their driving license from time to time will be the sole responsibility of the Tenderer.
7. The drivers deployed should have reasonable experience with good driving record. He should be able to attend to minor repairs of vehicles on route, in case of need.
8. The driver must report for duty at the specified time in clean uniform. They should be

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



neatly turned out and be polite, courteous and service oriented at all times.

9. The drivers should carry cell phone with them and the phone number should be made available with Reserve Bank of India, Agartala.

10. All the documents viz. insurance, registration certificate, road tax, pollution, permits, valid license, etc. related to each vehicle should be readily available in each of the vehicles/with drivers.

11. The Tenderer shall provide vehicles on written or verbal instructions over phone within the time specified therein. The Tenderer shall also be required to provide vehicles at short notice from the Bank. In case the Tenderer fails to provide the vehicle on our request, the Bank shall be free to cancel the contract of the Tenderer and de-list him from the panel without any notice.

12. The Tenderer should confirm without fail the vehicle details i.e. vehicle make, Registration No., driver's Name etc. for each booking before hand to the nodal person of Reserve Bank of India and update the records at the Bank from time to time.

13. The driver must always be available with the vehicles as and when demanded by RBI, Agartala. He must ensure to fill the duty slip details viz. garage out time with K.M. reading, release time with K.M. reading, parking/toll charges etc., and have it signed by the guest.

14. The persons engaged by the Tenderer shall have no right to claim any employment in the Bank. RBI shall not be under any obligation to provide employment to any of the personnel deployed by successful bidder after the expiry of the contract. No right of any employment in RBI shall accrue or arise, by virtue of engagement of personnel for any assignment under the contract.

15. The drivers/employees engaged by the Tenderer shall abide by the instructions provided by the security officers/guards of the Bank and vehicles/persons will have to undergo security check as and when required.

16. (a) The successful Tenderers shall execute an agreement with the Bank on stamped paper within 10 days of receipt of letter of acceptance. However, the issue of letter of acceptance by the Bank shall be considered as binding contract, as though such an agreement has been executed and all the terms and conditions shall apply on this contract. Normally, the tender will be valid up to one year. The contract may be renewed after expiry for a further period of two years, but one year each at a time, subject to satisfactory performance and annual review on the same terms and conditions, except for the change in rates on mutual acceptance.

(b) The stamp duty shall be borne and paid by the Tenderer.

17. The rates offered by the Tenderers and acceptance by the Bank, will remain valid, for a period of one year, thereafter they may be reviewed at the time of renewal of the contract, provided any major changes occur in labour laws / Labour Codes or Government decision affecting fuel pricing, etc. However, this can be done only with the permission of the General Manager (Officer-in-charge), RBI, Agartala.

18. For deficiencies in services and serious inconvenience caused to the Bank and its officials or those whom Bank directs to provide services, penalty not exceeding 25% of the estimated bill for the relevant instance may be levied. However, the Bank will levy it only after giving due notice. In case of dispute an appeal may be made to the General



Manager (Officer-in-charge), Reserve Bank of India, Agartala whose verdict will be final in the matter.

19. The Tenderer will also have to make alternate arrangements in case of breakdown of his vehicle(s). In case of failure, the Tenderer will be responsible to compensate all expenses incurred in this regard. Decision of the Bank in this regard will be final and binding on the Tenderer. Such compensation may be in addition to any penalty levied under paragraph 19 above. Penalty and compensation, if any, will be deducted from the subsequent bill/s of the Tenderer.

20. The Tenderer should ensure that there will be no room for complaints from anywhere. Feedback Form, as per [Annex III](#), shall be made available in the Cars/ vehicles provided by the tenderer.

21. The successful bidder shall ensure full compliance with tax laws in India with regard to this contract and shall be solely responsible for the same. The successful bidder shall submit copies of acknowledgements evidencing filing of returns every year and shall keep RBI fully indemnified against liability of tax, interest, penalty etc. of the successful bidder in respect thereof, which may arise.

22. In case the contractor is not able to provide the category of car for which booking has been made by the Bank, he can provide higher category of vehicle. However, payment will be made for the category of vehicle booked by the Bank.

23. The contractor shall ensure compliance of the provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, Minimum Wages Act, 1948, Code on Wages, 2019, new Labour Codes and applicable laws, while engaging labourers for the aforesaid work.

24. The persons engaged by the transport providers will be the employees of the Contractor and neither the Contractor nor the labourers shall have any right to claim any employment in the Bank.

25. The contractor shall ensure that the taxis provided by him are registered under Motor Vehicle Act, 1988 as revised from time to time and also follow latest Road Safety rules and regulations.

26. The contractor shall arrange to obtain police verification certificate regarding the antecedents of the persons engaged by them.

27. AWARD OF CONTRACT

I. RBI will award the contract to the successful evaluated bidders on fulfilment of all the terms and conditions of this tender.

II. RBI will communicate its decision to award the contract through a "Letter of Offer".

III. The successful bidders will be required to execute an agreement within a period of 10 days from the date of issue of the said Letter of Offer.

IV. The successful bidders shall be required to furnish a Bank Guarantee within 10 days of receipt of "Letter of Offer". The amount of Bank Guarantee @ 5% of the contract value will have to be furnished as per proforma given in [Annex – V](#).

V. The Bank Guarantee shall remain valid for a period of Sixty (60) days beyond the date of completion of all contractual obligations.

VI. In case the contract period is extended further, the validity of Bank Guarantee shall also be extended by the successful bidders accordingly.

28. Uniform Price Chart: Among the tenders received, the lowest rate quoted by any



Tenderer for each category of vehicle will be taken and a Uniform Price Chart will be prepared by the Bank. The Uniform Price Chart will be mutually accepted by the Bank and the willing Tenderers. This rate will be used as the agreed rate during the contract period. For example, the Uniform Price Chart is prepared as below.

- i. For vehicle categories of A, B and C.
- ii. Tenderer T1 quoted lowest rate as 'x' for A, T2 quoted lowest rate 'y' for B and T3 quoted lowest rate 'z' for C.
- iii. Then the Uniform Price Chart will be prepared as,

For A: ₹.'x'

For B: ₹.'y'

For C: ₹.'z'

- iv. These rates will be the accepted rate for the Bank and offered for the acceptance to the successful bidders. Once accepted, the successful bidders shall provide their services at the accepted rate for each category of the vehicle.

29. The tender submitted shall be signed by a competent authority of the organisation. In case of partnership firm, it shall be signed by all the partners of the firm or by a partner who has the necessary authority on behalf of the firm to enter into the proposed contract. In case of a company, it shall be signed by a competent authority/by a person having power of Attorney. Otherwise, the tender may be rejected by the Bank.

30. Except under cases of circumstances beyond the control of the Bank, the payment of bills will be made within fifteen days and not later than thirty days of production of bills. Payments will be made through electronic mode. The successful bidder should furnish mandate/s for ECS/RTGS/NEFT. Bank will deduct applicable tax at source and issue quarterly certificate in this regard.

31. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall comply with the applicable statutory provisions of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970; Employees state Insurance Act; Workman's Compensation Act, 1923; Payment of Wages Act, 1936; The Employees Provident Fund(and Miscellaneous Provisions) Act, 1952; Payment of Bonus Act 1965; The Minimum Wages Act, 1948; Employees Liability Act, 1938; Employment of Children Act 1938; Maternity Benefit Act, the Payment of Gratuity Act, 1972, the Equal Remuneration Act, 1976, the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, the Labour Codes and the rules published thereunder, from time to time, and/or any other rules/regulations and/or statutes that may be applicable to them. The successful tenderer/contractor / firm / company/Agency shall be solely responsible for any violation of provision of the above-mentioned legislative enactments or any other statutory provisions and shall further keep the RBI, Agartala indemnified from all acts of omission, fault, breaches and / or any claim, demand, loss, injury and expense arising out from the non-compliance of the aforesaid statutory provisions. Successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency failure to fulfil any of the obligations hereunder and / or under the said Acts, rules/ regulations/ or



any bye-laws or rules framed under or any of these, the RBI, Agartala shall be entitled to cover any of the such losses or expenses, which it may have to suffer or incur on account of such claims, demand, loss or injury, from the contractor's monthly payment or any other amount payable to the contractor or by invoking the Bank Guarantee.

32. In the event of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency committing a default or breach of any of the provisions of the Labour Laws / Labour Codes including the provisions of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 or Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, as amended in put in force from time to time or in furnishing any information, or submitting or filling any statement under the provisions of the said Regulations and Rules which is materially incorrect, he shall without prejudice to any other liability, pay to the RBI, Agartala, a sum as may be determined by General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala. The Bank reserves right to appropriate the amount by invoking the Bank Guarantee or from any other amount payable to the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency.

33. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall keep the Reserve Bank of India, Agartala indemnified against all claims whatsoever in respect of the employees/personnel/representatives deployed by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency. In case any employee/personnel/representatives of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency so deployed enters into dispute of any nature whatsoever, it will be the primary responsibility of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency to contest the same. In case Reserve Bank of India, Agartala is made party and is supposed to contest the case, the Reserve Bank of India, Agartala will be reimbursed for the actual expenses incurred towards Counsel fee and other expenses, which shall be paid in advance by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency to Reserve Bank of India, Agartala on demand. Further, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure that no financial or any other liability comes on Reserve Bank of India, Agartala in this respect of any nature whatsoever and shall keep Reserve Bank of India, Agartala indemnified in this respect.

34. That the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be solely responsible for any violation of provision of the labour laws / Labour Codes or any other statutory provisions and shall further keep the RBI, Agartala indemnified from all acts of omission, fault, breaches and/or any claim, demand, loss, injury and expense arising from the non-compliance of the aforesaid statutory provisions. The Successful tenderer's /contractor's / firm's / company's/ Agency's failure to fulfil any of the obligations hereunder and/or under the said Acts, rules/regulations and/or any bye-laws or rules framed under or any of these, the RBI, Agartala shall be entitled to recover any of such losses or expenses, which it may have to suffer or incur on account of such claims, demand, loss or injury, from the Successful tenderer's /contractor's / firm's / company's/ Agency's monthly payment and Security Money Deposit. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency should follow standard safety procedure and equipment and ensure



that none of its staff suffer any injuries. Any liability on this account will be entirely that of the Agency.

35. Sexual Harassment: The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall comply with the provisions of “the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013”. In case of any complaint of sexual harassment against its employee/personnel/representative within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by RBI and RBI shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

i. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Internal Complaints Committee constituted by the Bank.

ii. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be responsible for educating its employees/personnel/representatives about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

iii. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency, for instance any monetary relief to Bank’s employee, if sexual misconduct by the employee of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency is proved.

iv. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure that none of its employee/personnel/representatives will enter or remain in the Bank's premises beyond the specified time limits unless absolutely necessary for fulfilling successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency obligations and with permission of the Caretaker/Bank Security officials.

36. Non-Disclosure Clause: The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank’s infrastructure / systems/ equipment etc, which may come to the possession or knowledge of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency during the course of discharging contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Bank/Employer. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall indemnify the Bank/Employer for any loss suffered by the Bank/Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency and the Bank/Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall take all



appropriate actions with respect to its employees/personnel/representatives to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reasons.

37. Force Majeure: If at any time during the currency of the contract, either party is subject to force majeure, which can be termed as civil disturbance, riots, strikes, tempest, acts of God etc. which may prevent either party to discharge his obligation, the affected party shall promptly notify the other party about the happening of such an event. Neither party shall by reason of such event be entitled to terminate the contract in respect of such performance of their obligations. The obligations under the contract shall be resumed as soon as practicable after the event has come to an end or ceased to exist. If the performance of any obligation under the contract is prevented or delayed by reason of the event beyond a period mutually agreed upon, if any, or seven days, whichever is more, either party may at its option terminate the contract.

38. Termination of Contract - Either party shall be at liberty to terminate the agreement by giving three clear calendar months' notice in writing. Without prejudice to what is contained herein above, the Bank/Employer shall at its sole and absolute discretion, be entitled to terminate the contract forthwith by written notice without assigning any reason and without payment of any compensation, if-

- a) In the opinion of the Bank/Employer (which shall not be called in question by the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency and shall be binding on the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency) the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency fails or refuses to implement the contract to the Bank's satisfaction; and/or
- b) The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency commits a breach of any terms and conditions of the contract; and/or
- c) For any reason whatsoever, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency becomes disentitled under any law to perform his obligation under the contract; and/or
- d) There is any variation in the ownership/partnership of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency or its business without the prior permission in writing from the Bank; and/or
- e) The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency is adjudged an insolvent/bankrupt, or a compromise is entered by it with its creditors or if distress or execution or other process is levied upon it or receiver is appointed for any part of the assets or property of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency.

In the event of termination of the contract for any reason whatsoever, the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency or persons employed by it shall not be entitled for any sum or sums whatsoever from the Bank/Employer by way of



compensation or damages.

39. Stamp Duty and other law charges- The tenderer/contractor / firm / company/Agency shall bear the stamp duty and/or other law charges for execution of the agreement pursuant to award of the contract. The agreement shall be executed in duplicate, and the Bank shall retain the original and the tenderer/contractor / firm / company/Agency shall retain the duplicate.

40. Arbitration:

(a) Any dispute and/or difference arising out of or relating to this contract will be resolved through joint discussion of the authorised representatives of the concerned parties. However, if the disputes are not resolved by joint discussions, then the matter will be referred for adjudication to a sole Arbitrator to be appointed by the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala.

(b) The award of the sole Arbitrator shall be final and binding on all the parties. The arbitration proceedings shall be governed by Indian Arbitration and Conciliation Act 1996 as amended from time to time. The venue of arbitration shall be RBI, Agartala.

(c) The cost of Arbitration shall be borne by the respective parties in equal proportions. During the pendency of the arbitration proceeding and currency of contract, neither party shall be entitled to suspend the work/service to which the dispute relates on account of the arbitration and payment to the Vendor shall continue to be made in terms of the contract.

(d) All matters pertaining to this Contract shall be subjected to the jurisdiction of the courts in AGARTALA only.

41. Withholding of Payments: The Bank may withhold the payment to an extent that, if it reasonably believes when, the Agency is in breach of the obligations as per this Agreement. If the breach is such that the same can be remedied, the Agency is given 07 (seven) days' notice for remedy of the deficiency. Once the service provider has cured the deficiency, the Bank will pay back the withheld amounts on this cause. It is clarified that such withheld amount shall not incur any interest.

42. Language: The Tender including all documents etc. shall be in English. However, the agreement to be entered by the successful Tenderer with Reserve Bank of India shall be in bilingual, i.e. Hindi and English. If Hindi of the tender document conflicts with the English version or contains terms in addition to or different from the English version, the English version shall prevail.

43. Taxes:

The prices quoted shall be exclusive of GST but deemed to have included all other taxes, local levies, works contract tax, etc. imposed by Central/State Government/ Local Bodies. If the Tenderer fails to include such taxes and duties in the Tender, no claim thereof will be entertained by the Bank afterwards.

44. Disqualification - Missing and Unsigned documents: The Tender form must be filled in English only. If any of the documents is missing or unsigned, the Tender may be



considered invalid by the Bank at its discretion.

मैंने/हमने ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लिखित कार्यक्षेत्र और अनुबंध की नियम और शर्तों को पढ़ लिया है और अनुबंध को निष्पादित करते समय इसे स्वीकार करते हैं, यदि प्रदान किया जाता है।

I/ We have read the Scope of Work and Terms and Conditions of the agreement explicitly mentioned above and accept the same while executing the contract, if awarded.

आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर / SIGNATURE AND SEAL OF THE APPLICANT

पता / Address: -

(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें / Please sign at the bottom of all pages)



**अनुभाग - VI/ Section- VI - भाग -I - तकनीकी वाणिज्यिक बोली / PART - I -
TECHNO COMMERCIAL BID**

से / From,

.....
.....
.....

प्रति / To

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), / General Manager (Officer-in-charge),

भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India,

दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग / 2nd Floor, Jackson Gate Building,
लेनिन सरणी, अगरतला – 799 001 / Lenin Sarani, Agartala – 799 001

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण Details to be filled in by the Tenderer
1	निविदाकर्ता का नाम / Name of the Tenderer	
2	(a) निविदाकारों का प्रकार- (चाहे प्रोपराइटरशिप/ पार्टनरशिप/ एलएलपी/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी) / Type of Tenderers– (whether Proprietorship/Partnership/LLP/Pvt. Ltd. Company) (b) स्थापना की तिथि / Date of Establishment (c) पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि), / Details of Registration (Firm, Company etc.), (d) पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या आदि (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)। / Registering Authority, Date, Number etc. (not applicable in the case of a sole proprietorship). कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें Please enclose relevant documents in support of the same	

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



3 a	पदनाम के साथ निविदाकर्ता के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम Name of the proprietor/ partners/ directors of the Tenderer with designation	
3 b	बैंक के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए निविदाकर्ता का प्राधिकृत व्यक्ति। (नाम, पदनाम, टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित संपर्क विवरण) Authorized person of the Tenderer to make commitment to the Bank. (Name, designation, contact details including telephone/fax/e-mail)	
4	टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल सहित निविदाकर्ता का पंजीकृत कार्यालय/व्यावसायिक पता Regd. Office/Business Address of the Tenderer along with Telephone No., Mobile No. and e-mail. (a) क्या अगरतला में अपना ऑफिस है / Whether having own office in Agartala (b) अगरतला में स्थानीय कार्यालय का पता / Address of the local office at Agartala. (c) गैरेज का पता / Address of the Garage कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें Please enclose relevant documents in support of the same.	
5	कार्य अनुभव – पूर्व-पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों में आवश्यकता के अनुसार कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित कार्य अनुभव का विवरण। भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकार/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के किसी भी कार्यालय में समान सेवाओं के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए। Work Experience–Details of work experience as per the requirement in the Pre-Eligibility Criteria and Terms and Conditions supported by work orders, documents and certificates. The details along with documentary evidence of previous experience, if any, of similar services at any	

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



	office of Reserve Bank of India or Government/ Semi-Government/ Public Sector Undertakings/Banks/ MNCs should also be given.	
6	पूर्ण विवरण के साथ मौजूदा ग्राहकों के नाम और पते। उनके शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया इस निविदा दस्तावेज (अनुलग्नक-II) के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। Names and Addresses of the existing clients along with their full details. The feedback from top three existing clients is required to be submitted as per format attached with this tender document (Annex-II).	
7	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित 31 मार्च, 2026 तक पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के साथ-साथ लाभ और हानि खातों की प्रतियां (किराए पर वाहनों की आपूर्ति के माध्यम से कारोबार को अलग से इंगित करते हुये)। Copies of Audited Balance Sheet as well as Profit & Loss A/c statement for last 3 years up to March 31, 2026 (indicating separately turnover through supply of vehicles on hire) certified by a Chartered Accountant.	
8	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न – वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26। (स्व-सत्यापित प्रति जमा की जानी है) Income Tax Returns of last three Financial years – F.Y. 2023-24, F.Y. 2024-25 and F.Y. 2025-26. (Self-Attested Copy to be submitted)	
9	क्या संगठन दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकृत है और टूरस एंड ट्रेवल्स चलाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र है? कृपया पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें। Whether the organization is registered under the Shops and Establishment Act, 1970 and has necessary certificate to run Tours and Travels? Please enclose the Registration Certificate.	

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



10	बैंकरों के नाम और पते। निविदाकर्ता की ऋण योग्यता के संबंध में इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार बैंकर द्वारा उनके लेटरहेड पर दिया गया बैंकरों का प्रमाण पत्र दिया जाना है (अनुलग्नक - I) Names and Addresses of the bankers. The bankers Certificate regarding credit worthiness of the Tenderer is to be given by the banker on their letter head as per format attached with this tender document. (Annex – I)	
11	बैंक खाता (आईएफएस कोड और खाता संख्या) जहां निविदाकर्ता के संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा। The Bank Account (IFS Code and Account Number) where payments would be received by the organisation of the Tenderer.	
12	पंजीकरण संख्या(ओं), परमिट संख्या(ओं), खरीद की तिथि, बीमा पॉलिसी के साथ आवेदक के नाम पर स्वामित्व वाली कारों की सूची। सूची श्रेणीवार (वित्तीय बोली में दर्शाई गई श्रेणियां) और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ खरीद की तारीख के अवरोही क्रम में होनी चाहिए। दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। (अनुलग्नक - IV) List of Cars owned in the name of the applicant with Registration Number/s, Permit Number/s, Date of Purchase, Insurance Policy. The list should be category wise (categories as indicated in Financial Bid) and in descending order of date of purchase with documentary evidence. Copies of the documents should be attached. (Annex - IV)	



तकनीकी वाणिज्यिक बोली के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियां: Copies of Documents required to be submitted for Techno commercial Bid:

- a) व्यापार लाइसेंस / Trade License
- b) दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण / Registration under shops and Establishment Act
- c) संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां। / Copies of Registration Certificates of the Company/firm/agency issued by the relevant authority.
- d) ग्राहकों की सूची और शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया। / List of Clients and Feedback from top three existing clients.
- e) पिछले 3 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण। (किराए पर वाहनों की आपूर्ति के माध्यम से कारोबार को अलग से इंगित करते हुये) / Audited annual financial statements for last 3 years i.e. F.Y. 2023-24, F.Y. 2024-25, and F.Y. 2025-26. (Indicating separately turnover through supply of vehicles on hire)
- f) पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न / Income Tax Returns for last three financial years i.e., i.e. . F.Y. 2023-24, F.Y. 2024-25, and F.Y. 2025-26.
- g) पैन, टीआईएन, जीएसटी, आदि जैसे लागू कर पंजीकरण की प्रतियां। / Copies of applicable tax registrations. viz PAN, TIN, GST, etc.
- h) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र और ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां, यदि कोई हो। / Copies of E.P.F Registration Certificate and E.S.I registration certificates, if any.
- i) वर्तमान कार्य की अनुमानित लागत के बराबर राशि के लिए विशेष रूप से निविदाकर्ता के बैंकों द्वारा जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, जो निविदाकर्ता की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है। / Solvency Certificate issued by the Tenderer's bankers specifically for this work for an amount equivalent to the estimated cost of the present work, indicating financial soundness of the Tenderer.
- j) भारत में किसी अनुसूचित बैंक में उनके द्वारा रखे गए बैंक खाते का विवरण। / Details of the Bank Account held by them in a scheduled bank in India.
- k) बयाना धन राशि / Earnest Money Deposit
- l) मॉडल, पंजीकरण, बीमा, खरीद की तारीख आदि के विवरण के साथ वाहनों की सूची। / List of vehicles with details viz. model, registration, insurance, date of purchase, etc.
- m) कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है या बैंक द्वारा मांग की गई है। / Any other document/s required to be submitted, as mentioned above or as demanded by the Bank. बैंक उपर्युक्त विवरण में से किसी एक या सभी के प्रमाण/सत्यापन के लिए मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। The Bank reserves the right to call for proof/ verification of any or all of the above mentioned particular.

सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-निविदा जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए। Scanned copy (PDF format) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal



घोषणा / DECLARATION

(निविदाकर्ता के लेटरहेड पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली में प्रस्तुत किया जाना है, जिसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं)

(To be submitted in the Techno commercial Bid on the letter head of the Tenderer, duly signed by its authorised signatory)

1. मुझे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी गलत या झूठ पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया /अनुबंध प्रदान करने से वंचित किया जा सकता है। The information provided by me/us is/are true to the best of my/our knowledge and if any information is found incorrect or false, I/we may be debarred from the tender process/ being awarded the contract.
2. मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं जैसा कि निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित है। I/We agree to abide by the terms and conditions stipulated by RBI as mentioned in the tender documents.
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा, निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए आरबीआई द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिस पर आरबीआई और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है। मैं/हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं। I/ We also agree that our tender will remain valid for acceptance by the RBI for a period of 90 days from the date of opening of the tender and this period of validity can be extended for such further periods as may be mutually agreed upon between RBI and us in writing. I/We also agree to keep the earnest money valid during the entire period of validity of tender.
4. मैं/हम समझते हैं कि आरबीआई, अगरतला के पास किसी भी या सभी निविदाओं को इसके बिना कोई कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। / We understand that RBI, Agartala reserves the right to accept or reject any or all of the tenders either in full or in part without assigning any reason thereof.
5. मैं/हम समझते हैं कि पैनल में शामिल होने के बाद, मैं/हम प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सह-बोलीदाताओं द्वारा मूल्य बोली में दी गई न्यूनतम बोली पर भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरणी, अगरतला-799 001 को वाहनों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे। I/We understand that after empanelment, I/We would be under the obligation to supply vehicles to Reserve Bank of India, 2nd Floor, Jackson

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



Gate Building, Lenin Sarani, Agartala-799 001 at the lowest quote given in the price bid by the co-bidders, under each category.

6. मैं/हम समझते हैं कि / I/We understand that

I. कीमतें सभी समावेशी होंगी (लागू करों को छोड़कर) / Prices will be all inclusive (except applicable taxes)

II. वाहन में मिनरल वाटर की बोतलों, फेस टिशू पेपर, अखबारों, छाता, अग्निशामक यंत्र और आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की लागत अतिरिक्त नहीं दी जाएगी। / Cost of mineral water bottles, face tissue papers, newspapers, umbrella, fire extinguisher and first aid box with essential medicines in the vehicle will not be paid extra.

III. वैध रसीदों के उत्पादन पर सफल निविदाकर्ताओं को पार्किंग/टोल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। Parking/Toll charges shall be reimbursed to the successful Tenderers on production of valid receipts.

2026 का _____ का यह दिन
Dated this _____ day of _____ 2026.

हस्ताक्षर / Signature:

नाम / Name:

निविदाकर्ता की मुहर / Seal of the Tenderer:



**किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए पंजीकृत विक्रेताओं को
पैनलबद्ध के लिए ई-निविदा
E-Tender for Empanelment of vendors for Annual Service Contract for
supplying cars on hire**

अनुभाग – VII - भाग II - केवल वित्तीय बोली / Section VII - PART II – Financial Bid Only

निविदाकर्ता का नाम / Name of the Tenderer: _____ पता / Address: _

वाहनों को किराए पर लेने के लिए कोटेशन (रुपये में दरें) / Quotation for Hiring of Vehicles (Rates in Rupees)

(दरें केवल सीपीपी पोर्टल पर ही उद्धृत की जानी चाहिए) / (Rates to be quoted on CPP portal only)

	कार्य का विवरण Description of Work	निर्माण /मॉडल Make/Model Swift Dzire/ Etios /Tigor/Baleno /i20, etc.	निर्माण/ मॉडल Make/ Model Toyota Innova Old model /Xylo /Scorpio	निर्माण/मॉडल Make/Model Honda City/Ciaz/ Verna/Ertiga /XL 6 etc.	निर्माण/ मॉडल Make/ Model Innova Crysta	निर्माण /मॉडल Make/Model I premium cars / Fortuner / Endeavour/In nova Hycross / XUV 700 etc.
		दर / Rate	दर / Rate	दर / Rate	दर / Rate	दर / Rate
1	आधार दर / Base Rate 4hrs/40km	--	--	--	--	--
2	आधार दर / Base Rate 8hrs/80km	--	--	--	--	--
3	बेस रेट से अधिक अतिरिक्त किमी के लिए शुल्क Charges for Extra Km Beyond Base	--	--	--	--	--

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



	Rate					
4	आधार दर से अधिक अतिरिक्त घंटे के लिए शुल्क Charges for Extra hour Beyond Base Rate	--	--	--	--	--
5	अगरतला हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन पिकअप/ड्रॉप Agartala Airport /Railway station pick up/ Drop	--	--	--	--	--
6	रात में रुकने का शुल्क (आधी रात 12:00 बजे से सुबह 05:00 बजे के बीच के ड्यूटी के लिए) Night halting charges (For Duty between 12:00 midnight to 05:00 am)	--	--	--	--	--
	कुल / Total (1+2+3+4+5+6)	A	B	C	D	E

नोट: - 1. जीएसटी: उद्धृत दरों में जीएसटी को छोड़कर सभी प्रकार के कर शामिल होंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर लागू जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को निविदा में सभी प्रकार के करों/शुल्कों को शामिल करना होगा और बाद में रिज़र्व बैंक द्वारा उनके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

NOTE: - 1. GST: The rates quoted shall be inclusive of all types of taxes except GST. The GST as applicable from time to time as per Government notification shall be paid extra. The Tenderers have to include all types of taxes / duties in the tender and no claim thereof will be entertained by the Reserve Bank afterwards.

2. स्थानीय यात्रा: अगरतला नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में की गई यात्रा को स्थानीय यात्रा के रूप में माना

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



जाएगा | Local Journey: The journey taken within Agartala Municipality jurisdiction will be treated as local journey.

3. बाहरी यात्रा - अगरतला नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र से/तक की जाने वाली यात्रा को बाहरी यात्रा माना जाएगा | Outstation Journey - The journey taken to/ from Agartala Municipality jurisdiction will be treated as outstation journey.

4. स्थानीय यात्राओं के लिए निर्धारित बैंड घंटों से परे वाहन के उपयोग को अतिरिक्त घंटे का भुगतान किया जा सकता है शुल्क। The use of vehicle beyond the stipulated band hours for local journeys may be paid extra hour charges.

5. हवाई अड्डे/रेलवे पिकअप ड्यूटी के लिए, पार्किंग शुल्क (निर्धारित / वास्तविक उड़ान आगमन समय से 1 घंटे पहले से लेकर अतिथि के लेने के बाद तक) मूल बिल/रसीदों के प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा। टोल शुल्क का भुगतान केवल मूल रसीद के प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। For Airport/Railway pick up duty, the parking charges (from upto 1 hour before scheduled/ actual flight arrival time till after pick up of guest) will be paid on production of original bills/receipts. The toll charges would be paid only on production of original receipt.

6. किसी अन्य ड्यूटी के लिए पार्किंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। / The parking charges for any other duty shall not be paid.

7. नाइट हॉल्ट शुल्क तब लागू होगा जब किराए पर ली गई कार का चालक आरबीआई कर्मचारियों के लिए रात भर ड्यूटी पर रहेगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। रात में रुकने के शुल्क लागू होने पर प्रति अतिरिक्त घंटे शुल्क लागू नहीं होगा। Night Halt charges will be applicable if the driver of the hired car is on duty for RBI employees overnight, irrespective of location. Charges per extra hours are not applicable when night halting charges are applicable.

8. ड्यूटी पर्ची में निम्नलिखित 4 चरणों में कि.मि. रीडिंग और ड्यूटी का समय होना चाहिए: / Duty slips must contain the KM reading and time of duty at the following 4 stages:

- गैरेज छोड़ने का बिंदु / Point of leaving garage
- रिपोर्टिंग स्थान/यात्रा की शुरुआत / Reporting place/ Starting of the trip
- ड्रॉपिंग स्थान/यात्रा का अंत / Dropping location/ End of the trip
- गैरेज में वापस रिपोर्ट करना / Reporting back to garage

9. अधिकतम दूरी के लिए शुल्क जो गैरेज से पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट से गैरेज तक वापस जाने के संबंध में दावा किया जा सकता है, प्रत्येक तरफ 10 किलोमीटर (आने-जाने के लिए) तक सीमित होगा और बिल का भुगतान वास्तविक दूरी या 10 किलोमीटर प्रत्येक पक्ष (आने-जाने के लिए) के लिए, जो भी कम हो, किया जाएगा। इसके अलावा, गैरेज से पिकअप पॉइंट तक और ड्रॉप पॉइंट से वापस गैरेज जाने तक भुगतान के लिए एक घंटे (संयुक्त रूप से आने-जाने के लिए) के अधिकतम समय पर विचार किया जाएगा। The charges for maximum distance that can be claimed in respect of garage to point of pickup and back to garage from drop point would be restricted to 10 Kms each side (to and fro) and bill will be paid for actual



distance or 10 Kms each side (to and fro) whichever is less. Also, maximum time of one hour (to and fro combined) will be considered for payment from the garage to the pickup point and from drop point back to garage.

10. काम के व्यापक दायरे में वस्तुओं (वाहन में मिनरल वाटर की बोतलें, फेस टिशू पेपर, छाता, आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और समाचार पत्र) की लागत का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। The cost of items in the broad scope of work (mineral water bottles, face tissue papers, umbrella, first aid box with essential medicines, fire extinguisher and newspapers in the vehicle) would not be paid extra.

11. यदि सेवा प्रदाता स्वयं उच्च श्रेणी के वाहनों की व्यवस्था करता है, तो उसे उन श्रेणियों की कारों के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा, जिनके लिए बुकिंग की गई है। / In case the service provider arranges higher category vehicle on his own, he will be paid according to the rates approved for category of cars for which booking has been made.

12. वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत और प्रत्येक प्रकार के उपयोग के लिए अलग-अलग विक्रेता द्वारा उद्धृत दरें विक्रेताओं के बीच सबसे कम दरों का विश्लेषण करने के लिए होंगी और पैनेल के लिए आधार नहीं बनेंगी। इसके अलावा, विक्रेताओं द्वारा उद्धृत प्रत्येक श्रेणी/उपयोग के लिए न्यूनतम दरें अन्य सभी पात्र विक्रेताओं को स्वीकृति और परिणामी नाभिकायन हेतु पेश की जाएंगी। / The rates quoted by individual vendor under each category of vehicles and for each kind of use will be for analysing the lowest rates among vendors and shall not form the basis for the empanelment. Further, the minimum rates for each category/use quoted by the vendors will be offered to all other eligible vendors for acceptance and consequent empanelment.

13. कई एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के मामले में, रोटेशन के आधार पर विक्रेताओं को बुकिंग दी जाएगी। / In case of multiple agencies empaneling, the booking shall be given to vendors based on rotation basis.

14. मैं/हम समझते हैं कि प्राप्त निविदाओं में से, वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए किसी भी निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत सबसे कम दर ली जाएगी और बैंक द्वारा एक समान मूल्य चार्ट तैयार किया जाएगा। समान मूल्य चार्ट बैंक और इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। इस दर का उपयोग अनुबंध अवधि के दौरान सहमत दर के रूप में किया जाएगा। / I/We understand that among the tenders received, the lowest rate quoted by any Tenderer for each category of vehicle will be taken and a Uniform Price Chart will be prepared by the Bank. The Uniform Price Chart will be mutually accepted by the Bank and the willing Tenderers. This rate will be used as the agreed rate during the contract period.

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर / Signature of the Tenderer

निविदाकर्ता का नाम और मुहर / Name and Seal of the Tenderer

2026 के ____ का ____ दिन

Dated this.....Day of.....2026

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



Annex- I

बैंकरों का विवरण / Details of Banker/s

विवरण / Particulars	बैंकर 1 /Banker 1	बैंकर 2 / Banker 2
बैंकर का नाम / Name of the Banker		
शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता। शाखा का आईएफएससी कोड Name of the Branch and its complete postal Address. IFSC code of the Branch		
संपर्क व्यक्ति का नाम और पद उसके टेलीफोन नंबर (ओं) और फैक्स नंबर(ओं) आदि के साथ। Name and Job-title of the Contact Person along with his/her Telephone No(s)and Fax No.(s) etc.		
खाते का प्रकार और खाता संख्या Type of Account and Account No.		
क्या एजेंसी द्वारा ऋण सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लिया गया है। Whether Credit Facility/ Overdraft Facility enjoyed by the agency.		
वह अवधि जिससे एजेंसी बैंकर के साथ बैंकिंग कर रही है। The period from which the agency has been Banking with the Banker.		
कोई अन्य जानकारी जो विक्रेता अपने बैंकरों के बारे में प्रस्तुत करना चाहेगा: Any other information which the vendor may like to furnish about its Bankers:		

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Authorized Signatory
(नाम और मुहर के साथ) / (With name & Seal)

स्थान / Place:

दिनांक / Date

:सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा ऑनलाइन जमा करते समय स्कैन की गई प्रति (**PDF** प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।
Scanned copy (PDF format) must be uploaded while submitting e-tender online through CPP portal.



अनुलग्नक-II / Annex-II

(ग्राहक द्वारा निविदाकर्ता के माध्यम से सील की गई हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाना है)
(To be submitted by the client in hard copy in sealed through the Tenderer)

ग्राहक की रिपोर्ट / Client's Report

(ग्राहक के लेटर हेड पर / On Client's Letter Head)

फर्म का प्रदर्शन विवरण: /Performance details of the Firm:

मैसर्स / M/s पर स्थित है / Located at.....

1	कार्य आदेश/संदर्भ सं. और अनुबंध की तारीख Work order/reference No. and Agreement Date	
2	अनुबंध का सकल मूल्य (रुपये में) Gross Value of the Contract (in Rupees)	
3	अनुबंध शुरू होने की तिथि / Date of commencement of Contract	
4	क्या सेवा समझौते के अनुसार की गई है और फर्म के साथ दर्ज किए गए कार्य का दायरा है Whether the Service carried out as per agreement and the scope of the work entered with the Firm	
5	विलंब का कारण (यदि कोई हो) और क्या फर्म पर कोई जुर्माना/परिसमापन क्षति, यदि कोई हो, लगाई गई थी Reason for delay (if any) and whether any penalty/liquidated damage, if any, was imposed on the firm	
6	फर्म की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ (ग्रेडिंग का संकेत दें) Comments on capabilities of the firm (indicate grading)	
A	फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता Quality of Service provided by the firm	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
B	तकनीकी वाणिज्यिक दक्षता/क्षमता Techno commercial proficiency/competence	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब Outstanding/Very Good/

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



		good/Satisfactory/Poor
C	फर्म के भागीदारों/मालिकों की अखंडता और विश्वसनीयता Integrity and reliability of the partners/ proprietors of the firm	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
D	तैनात कर्मियों की अखंडता और विश्वसनीयता Integrity and reliability of the Personnel deployed	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
E	कार्य के निष्पादन में व्यवहार, अनुसूची और समय का पालन Dealings in the execution of the work, adherence to schedule and time	उत्कृष्ट /बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषजनक/ खराब Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
7	क्या फर्म मध्यस्थता के लिए गई थी? Did the firm go for arbitration?	
8	आपके विचार में कोई अन्य जानकारी जो हमें निर्णय लेने में मदद करेगी। Any other information in your view which will help us in making our decision.	

रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (कार्यालय मुहर के साथ):
Name and Signature of the Reporting Officer (with Office Seal):

स्थान / Place:

दिनांक / Date:



अनुलग्नक III / Annex III

(कार किराया एजेंसी का नाम / Name of Car Hire Agency)

कार किराया फीडबैक फॉर्म / CAR HIRE FEEDBACK FORM

क्र. सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	हां / Yes	नहीं / No	अन्य टिप्पणियाँ / Other Comments
1	क्या ड्राइवर ने समय पर रिपोर्ट की: Whether the Driver reported on time:			
2	क्या ड्राइवर ने साफ-सुथरे कपड़े पहने हुए थे और अच्छा व्यवहार किया था Whether the Driver was neatly dressed and well-behaved			
3	क्या कार साफ-सुथरी थी: Whether the car was neat and tidy:			
4	क्या कार में बोतलबंद पेयजल, अखबार, फेस टिशू पेपर, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशामक यंत्र और छाता प्रदान किया गया था: Whether Bottled Drinking water, newspaper, face tissue papers, first aid kit, fire extinguisher and umbrella were provided in the Car:			
5	क्या एसी ठीक से काम कर रही थी: Whether AC was working properly:			
6	क्या आप फिर से उसी एजेंसी का उपयोग करना पसंद करेंगे: Will you prefer to use the same agency again:			
7	कोई अन्य टिप्पणी: / Any other comments:			

(कृपया संबंधित बॉक्स पर टिक करें / Please tick the relevant box)

अतिथि/अधिकारी का नाम:

Name of Guest/ Official:

विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements



पदनाम: _____ कार्यालय: _____

Designation: _____ Office: _____

यात्रा की तिथि / Date of journey: _____

ई-मेल आईडी: _____ मोबाइल नंबर: +91 _____

E mail id: _____ Mobile No.: +91 _____



(d) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ / Any other relevant document(s)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर / Signature of Tenderer:

सील/स्टाम्प / Seal / Stamp

दिनांक / Date: _____

स्थान / Place: _____



प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा
Proforma for Performance Bank Guarantee

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)
(On Non-Judicial Stamp Paper of appropriate value purchased in the name of the Issuing Bank)

स्थान/Place: _____
दिनांक/Date: _____

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) / The General Manager (Officer-in-Charge)
भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
अगरतला / Agartala

महोदय / Dear Sir,

किराये पर कारों की आपूर्ति हेतु वार्षिक सेवा अनुबंध के लिए विक्रेताओं को पैनलबद्ध के लिए ई-निविदा
E-Tender for Empanelment of vendors for Annual Service Contract for supplying cars on hire

जबकि / WHEREAS

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में है, अपने कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंजिल, जैक्सन गेट बिल्डिंग, लेनिन सरनी, अगरतला-799 001 (जिसे इसके बाद "आरबीआई" कहा जाएगा) के माध्यम से उपर्युक्त कार्य के लिए मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे) को अनुबंध (जिसे इसके बाद "अनुबंध" कहा जाएगा) प्रदान किया है।

Reserve Bank of India, having its Central Office at Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai, through its office at Reserve Bank of India, 2nd floor, Jackson Gate Building, Lenin Sarani, Agartala-799 001 (hereinafter called "the RBI") has awarded the Contract for the captioned work (hereinafter called the "Contract") to M/s _____ (Name of the Contractor) (hereinafter called "the said Contractor", which expression shall include its successors and assigns).

और AND

जबकि ठेकेदार उसके द्वारा अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के नियत पालन के लिए भारतीय रिज़र्व



बैंक, अगरतला को ₹ /- (**रूपये मात्र**) की कुल राशि के लिए निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। हम,(बैंक का नाम), (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स _____ ठेकेदार, के अनुरोध पर, अनुबंध के नियमों और शर्तों के नियत पालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को, ₹ /- (**रूपये पचपन हजार मात्र**) से अधिक नहीं, की राशि निष्पादन गारंटी के रूप में भुगतान करने का वचन देते हैं।

Whereas under the said contract the Contractor is bound by the said Contract to submit to Reserve Bank of India, Agartala a Performance Bank Guarantee for a total amount of ₹ /- (**Rupees only**) for the due fulfilment by the said Contractor of the terms and conditions contained in the contract. We,(Name of the Bank), (hereinafter called "the Bank"), at the request of M/s _____, the Contractor, do hereby undertake to pay to the Reserve Bank of India, an amount not exceeding ₹ /- (**Rupees only**) as Performance Guarantee for due fulfilment of terms and conditions of the contract.

अब यह गारंटी गवाह है / NOW THIS GUARANTEE WITNESSETH

1. हम,(बैंक का नाम) आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितियों के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हम पर और उक्त ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा; तो आरबीआई की मांग पर, हम बिना किसी बाधा के आरबीआई को ₹ /- (**रूपये पचपन हजार मात्र**) या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई भी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए निष्पादन गारंटी राशि के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ /- (**रूपये पचपन हजार मात्र**) से अधिक नहीं होगी।

We,(Name of the Bank), do hereby agree with and undertake to RBI, their Successors, Assigns that in the event of the RBI coming to the conclusion that the Contractor has not performed his obligations as per the terms & conditions of the said conditions of the Contract or have committed a breach thereof, which conclusion shall be binding on us as well as the said Contractor; we shall on demand by the RBI, pay without demur to the RBI, a sum of ₹ /- (**Rupees only**) or any lower amount that may be demanded by the RBI. Our guarantee shall be treated as equivalent to the Performance Guarantee amount for the due performance of the obligations of the Contractor under the said Contract, provided, however, that our liability against such sum shall not exceed the sum of ₹ /- (**Rupees only**).

2. हम यह भी स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त रूप से ₹ /- (**रूपये मात्र**) से अधिक नहीं की राशि का भुगतान हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल सिर्फ आरबीआई की मांग पर और लिखित नोटिस मिलने पर, जिसमें यह बताया गया हो कि यह रकम उन्हें देय है और हम किसी भी तरह से कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और आरबीआई से नोटिस निर्णायक और हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हमसे किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से सवाल नहीं किया जाएगा। बैंक आरबीआई को इस तरह की मांग की गई किसी भी राशि का भुगतान करेगा, इसके बावजूद कि ठेकेदार द्वारा किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में विवाद/विवाद उत्पन्न हो सकता है जो इससे संबंधित किसी भी



न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थ के समक्ष लंबित है और इस गारंटी के तहत दायित्व पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम उपर्युक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

We also agree to undertake and confirm that the sum not exceeding **₹ /- (Rupees Thousand only)** as aforesaid shall be paid by us without any demur or protest, merely on demand from the RBI on receipt of a notice in writing stating that the amount is due to them and we shall not ask for any further proof or evidence and the notice from the RBI shall be conclusive and binding on us and shall not be questioned by us in any respect or manner whatsoever. The Bank shall pay to RBI any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the Contractor in any suit or proceedings pending before any Court, Tribunal or Arbitrator/s relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal. We undertake to pay the amount claimed by the RBI within a period of one week from the date of receipt of the notice as aforesaid.

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी बाध्यता आरबीआई और ठेकेदार के बीच समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगी। We confirm that our obligation to the RBI under this guarantee shall be independent of the agreement or agreements or other understandings between the RBI and the Contractor.

4. यह गारंटी आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा रद्द नहीं की जाएगी। This guarantee shall not be revoked by us without prior consent in writing of the RBI.

हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि: We hereby further agree that:

a) उक्त करार की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध में निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में या इसके तहत आरबीआई की ओर से किसी भी समय की छूट या अनुग्रह देने या उसके संबंध में किसी अन्य मामले में आरबीआई द्वारा ठेकेदार या किसी अन्य के प्रति किसी भी तरह की छूट देने से हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी बाध्यता से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस गारंटी को ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन द्वारा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा **₹ /- (रूपये मात्र)** से अधिक नहीं की राशि के भुगतान द्वारा ही निर्वहन किया जाएगा। Any forbearance or commission on the part of the RBI in enforcing the conditions of the said agreement or in compliance with any of the terms and conditions stipulated in the said Contract and/or hereunder or granting of any time or showing of any indulgence by the RBI to the Contractor or any other matters in connection therewith shall not discharge us in any way and our obligation under this guarantee. This guarantee shall be discharged only by the performance by the Contractor of their obligations and in the event of their failure to do so, by payment by us of the sum not exceeding **₹ /- (Rupees only)**

b) इस समझौते के तहत हमारी देनदारी **₹ /- (रूपये मात्र)** से ज्यादा नहीं होगी। Our liability under these presents shall not exceed the sum of **₹ /- (Rupees only)**.

c) इस समझौते के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या



अनियमितता या उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के संगठन में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

Our liability under this agreement shall not be affected by any infirmity or irregularity on the part of our said constituents/clients or their obligations thereunder or by dissolution or change in the constitution of our said constituents.

d) यह गारंटी दोष देयता अवधि से साठ (60) दिनों तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई द्वारा ऐसा वांछित हो, तो इस गारंटी को उनके द्वारा इंगित किए जाने पर उन्हीं नियमों और शर्तों के अनुसार आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। This guarantee shall remain in force up to Sixty (60) days beyond the Defect liability period provided that if so desired by the RBI, this guarantee shall be renewed for a further period as may be indicated by them on the same terms and conditions as contained herein.

e) इस गारंटी के तहत हमारी देयता समाप्त हो जाएगी जब तक कि इसे ऊपर दिए गए प्रावधानों के अनुसार नवीनीकृत नहीं किया जाता है, या उस तारीख तक जब हमारे संबंधित पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लें, इन दोनों में से जो भी तारीख बाद में हो —और इस संबंध में आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण पत्र निर्णायक प्रमाण होगा। अगर तय समय या बढ़ाई गई समय-सीमा के अंदर हमारे खिलाफ कोई दावा या मुकदमा या कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इस गारंटी के तहत अपनी सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। Our liability under these presents will terminate unless these presents are renewed as provided hereinabove on the or on the day when our said constituents comply with their obligations, as to which a certificate in writing by the RBI alone is the conclusive proof whichever date is later. Unless a claim or suit or action is filed against us within or any extended period, all the rights of the RBI against us under this guarantee shall be forfeited and we shall be released and discharged from all our obligations and liabilities hereunder.

जिसके साक्ष्य स्वरूप, बैंक की ओर से विधिवत अधिकृत होने के नाते, मैंने/हमने _____ (महीना) _____ (वर्ष) के _____ दिन इस गारंटी पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

In witness whereof, I/We of the Bank have signed and sealed this guarantee on the _____ day of _____ (Month) (Year) being herewith duly authorized.

(बैंक का नाम) के लिए एवं की ओर से / For and on behalf of (Name of the Bank)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर / Signature and Seal of authorized Bank official

नाम / Name:

पदनाम / Designation:

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



बैंक की मुहर/सील / Stamp/ Seal of the Bank

बैंक की ओर से और बैंक के लिए, ऊपर बताए गए व्यक्ति द्वारा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, सील लगाई गई और सुपुर्द किया गया:

Signed, sealed, and delivered for and on behalf of the Bank by the above named in the presence of:

साक्षी / Witness 1

हस्ताक्षर / Signature

नाम / Name

पता / Address

(नोट: इस निष्पादन बैंक गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जा रहा है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिनके हस्ताक्षर और अधिकार की पुष्टि की जाएगी।)

(NB: This Performance Bank Guarantee will require stamp duty as applicable in the state, where it is executed and shall be signed by the official whose signature and authority shall be verified).

**समझौते का अनुच्छेद/ Article of Agreement**

यह **समझौता** अगरतला में दो हजार छब्बीस के _____ दिन को **प्रथम भाग** के भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला (जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में है और आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक कॉर्पोरेट निकाय) जिसे इसके बाद "**बैंक**" के रूप में संदर्भित किया गया है, जो इसके _____ द्वारा दर्शाया गया (जिस अभिव्यक्ति में कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे),

THIS AGREEMENT is made at Agartala on this.....day of Two Thousand and Twenty Six between Reserve Bank of India, Agartala (having its Central Office at Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai and a body Corporate established under RBI Act, 1934) here in after referred to as the "**Bank**" represented by its (which expression shall include his successors in office and assignees) of the **FIRST PART**

और / AND

दुसरे भाग के मेसर्स _____, जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, जिसे इसके बाद "**वेंडर**" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे इसके निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री _____ (जिस अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें इसके कानूनी प्रतिनिधि और समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल होंगे) के बीच किया गया है

M/s..... having it's Regd. Office athereinafter referred to as the "**VENDOR**" represented by its Director and authorised signatory Shri (Which expression shall mean and include its legal representatives and assignees and successors) of the **SECOND PART**

जबकि- पहला पक्ष आरबीआई, अगरतला के उपयोग के लिए किराए के आधार पर कारों का लाभ उठाने के लिए कार किराए पर देने वाले सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए इच्छुक है।

WHEREAS- The first party was desirous to engage car hire service providers for availing cars on hire basis for the use of RBI, Agartala.

और जबकि प्रथम पक्ष, वेंडर द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली के आधार पर, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची 'ए' में निर्दिष्ट है, वेंडर (द्वितीय पक्ष) को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन एक वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान करने का इच्छुक है (लेकिन इसे दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक वर्ष के लिए) ।

AND WHEREAS the first party is desirous to award the contract to the vendor (Second Party) on

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



the basis of the price bid submitted by the vendor as specified in the Schedule 'A' of this agreement for a period of not more than one year (but can be renewed for the further period of two years, but one year at a time) under the following terms and conditions.

और जबकि वेंडर को जारी अनुबंध का लिखित प्रस्ताव वेंडर द्वारा दिनांकित _____ के सहमति पत्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

AND WHEREAS the written offer of contract issued to the vendor has been accepted by the vendor by its letter of consent dated _____

अब, इसमें शामिल पक्षों के बीच इस प्रकार सहमति हुई है:

NOW IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOW:

1. यह समझौता _____ से प्रभावी होगा और _____ तक लागू रहेगा जब तक कि इसे इसके बाद निहित शर्तों के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है।

This agreement will come into effect from _____ and will remain in force up to _____ or unless it is terminated as per the terms herein after contained.

2. सेवाओं के कुशल प्रतिपादन के लिए सभी पहलुओं की लागत को पूरा करने वाले समान मूल्य चार्ट (अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न) के अनुसार उद्धृत शुल्क चालान प्रस्तुत करने के अधीन वास्तविक आधार पर देय होंगे। इसका भुगतान तब किया जाएगा जब बैंक के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि सेवाएँ संतोषजनक ढंग से दी गई हैं, और सभी ज़रूरी बकाया/टैक्स आदि की कटौती कर ली गई हैं।

The quoted charges as per the Uniform Price Chart (enclosed as Annex A) covering the cost of all aspects for efficient rendering of services shall be payable on actual basis subject to submission of invoice. The payment there on will be made after the same is duly certified by the Bank's officials to the effect that the services have been provided satisfactorily and after deducting all statutory dues/ taxes, etc.

3. उपरोक्त शुल्क दृढ़ हैं और श्रम शर्तों, विनिमय भिन्नताओं या किसी भी अन्य शर्तों के अधीन हैं। उपरोक्त शुल्क में माल और सेवा कर शामिल नहीं है।

The above charges are firm and subject to labour conditions, exchange variations or any other conditions whatsoever. The above charges exclude Goods and Services Tax.

4. उपरोक्त शुल्कों में सेवा शुल्क, बीमा शुल्क और कोई भी शुल्क या अन्य उगाही शामिल है, चाहे वह केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मौजूदा हो या भविष्य में लगाया जाना वाला हो।

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



The above charges include service charges, insurance charges and any duty or other levy, whether existing or levied in future by the Central Government or any other state Government or any other Local Authority.

5. वेंडर निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार नियमित आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और निविदा दस्तावेज को इस दस्तावेज के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

The vendor shall be responsible for providing Services on regular basis as per the terms and conditions of the tender and the tender document will be treated as part of this document.

6. बैंक द्वारा / बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर वेंडर चालक-चालित वाहन (वित्तीय बोली में उल्लिखित वाहन के प्रकार -वातानुकूलित) प्रदान करेगा और सभी वाहनों के पास वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकरण होना चाहिए।

The vendor will provide the chauffeur-driven vehicles (Vehicle types as mentioned in Financial Bid – Air-conditioned) as and when requisitioned by the Bank/ by a person authorized by the Bank and all the vehicles should have registration for commercial use.

7. वेंडर के पास विभिन्न क्षमताओं के कम से कम तीन वाहनों का बेड़ा होना चाहिए। Vendor should have fleet of at least three vehicles of different capacity.

8. सभी वाहनों में अंदरूनी हिस्सा, असबाब, अच्छी तरह से बनाए रखा बाहरी और शोर रहित ड्राइव होना चाहिए। All vehicles must have clean interior, upholstery, well maintained exterior and noiseless drive.

9. सभी वाहनों में क) एक समाचार पत्र, ख) प्रति दिन 500 मिलीलीटर के ब्रांडेड पैकेज्ड पेयजल की दो बोतलें सी) फेस टिशू पेपर डी) छाता, ई) अग्निशामक यंत्र और च) आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट होना चाहिए।

All vehicles must have a) one newspaper b) two bottles of branded packaged drinking water of 500 ml per day c) face tissue papers, d) umbrella, e) fire extinguisher and f) first aid kit with essential medicines.

10. वेंडर के पास अगरतला में अपना कार्यालय और गैराज स्थान होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इस उद्देश्य के लिए तैनात वाहनों के लिए बैंक द्वारा पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।

Vendor should have its office and Garage space in Agartala. Please note that no parking arrangement will be made by the Bank for the vehicles deployed for the purpose.

11. वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे ट्रैफिक कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उनके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण वेंडर की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

The drivers should have valid driving license, which should be produced by them as and when demanded by traffic personnel. Renewal of their driving license from time to time will be the sole

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



responsibility of the Vendor.

12. तैनात वाहन चालकों को अच्छे ड्राइविंग रिकॉर्ड के साथ उचित अनुभव होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उसे मार्ग पर वाहनों की मामूली मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए।

The drivers deployed should have reasonable experience with good driving record. He should be able to attend to minor repairs of vehicles on route, in case of need.

13. चालक को साफ वर्दी में निर्दिष्ट समय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। उन्हें साफ़-सुथरा होना चाहिए और हर समय विनम्र, तहजीब वाला और सेवा करने वाला होना चाहिए।

The driver must report for duty at the specified time in clean uniform. They should be neatly turned out and be polite, courteous and service oriented at all times.

14. वाहन चालकों को अपने साथ मोबाइल फोन रखना चाहिए और फोन नंबर भारतीय रिजर्व बैंक, अगरतला के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

The drivers should carry cell phone with them and the phone number should be made available with Reserve Bank of India, Agartala.

15. प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे बीमा, पंजीकरण प्रमाण पत्र, सड़क कर, प्रदूषण, परमिट, वैध लाइसेंस आदि प्रत्येक वाहन में/चालकों के पास आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।

All the documents viz. insurance, registration certificate, road tax, pollution, permits, valid licence, etc. related to each vehicle should be readily available in each of the vehicles / with drivers.

16. वेंडर फोन पर मौखिक या लिखित निर्देशों पर उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर वाहन प्रदान करेगा। वेंडर को बैंक से अल्प सूचना पर वाहन प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी। यदि वेंडर हमारे अनुरोध पर वाहन प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक वेंडर के अनुबंध को रद्द करने और बिना किसी सूचना के उसे पैनल से हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

The vendor shall provide vehicles on written or verbal instructions over phone within the time specified therein. The vendor shall also be required to provide vehicles at short notice from the Bank. In case the vendor fails to provide the vehicle on our request, the Bank shall be free to cancel the contract of the vendor and de-list him from the panel without any notice.

17. वेंडर को भारतीय रिजर्व बैंक के नोडल व्यक्ति को बिना किसी असफलता के पहले से ही प्रत्येक बुकिंग के लिए वाहन विवरण यानी वाहन के प्रकार, पंजीकरण संख्या, चालक का नाम आदि की पुष्टि करनी चाहिए



और समय-समय पर बैंक में रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए।

The vendor should confirm without fail the vehicle details i.e. vehicle make, Registration No., driver's Name etc. for each booking beforehand to the nodal person of RBI, Agartala and update the records at RBI, Agartala from time to time.

18. आरबीआई, अगरतला द्वारा मांग किए जाने पर चालक को हमेशा वाहनों के साथ उपलब्ध रहना चाहिए। उसे ड्यूटी स्लिप विवरण भरना सुनिश्चित करना चाहिए जैसे कि कि.मि. रीडिंग के साथ गैरेज आउट टाइम, कि.मि. रीडिंग के साथ रिलीज का समय, पार्किंग/टोल शुल्क आदि, और इस पर अतिथि द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

The driver must always be available with the vehicles as and when demanded by RBI, Agartala. He must ensure to fill the duty slip details viz. garage out time with K.M. reading, release time with K.M. reading, parking/toll charges. etc and have it signed by the guest.

19. वेंडर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आरबीआई अनुबंध की समाप्ति के बाद वेंडर द्वारा तैनात किसी भी कार्मिक को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा। अनुबंध के तहत किसी भी कार्य के लिए कर्मियों की नियुक्ति के आधार पर आरबीआई में किसी भी रोजगार का कोई अधिकार अर्जित या उत्पन्न नहीं होगा।

The persons engaged by the vendor shall have no right to claim any employment in the Bank. RBI shall not be under any obligation to provide employment to any of the personnel deployed by vendor after the expiry of the contract. No right of any employment in RBI shall accrue or arise, by virtue of engagement of personnel for any assignment under the contract.

20. वेंडर द्वारा नियुक्त वाहन चालकों /कर्मचारियों को बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/गार्डों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पालन करना होगा और वाहनों/व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

The drivers/employees engaged by the vendor shall abide by the instructions provided by the security officers/guards of the Bank and vehicles/persons will have to undergo security check as and when required.

21. वेंडर द्वारा दी जाने वाली दरें और बैंक द्वारा स्वीकृति, एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी, अर्थात् प्रारंभिक समझौते की समाप्ति तक, उसके बाद अनुबंध के नवीनीकरण के समय उनकी समीक्षा की जा सकती है, बशर्ते श्रम



कानूनों/श्रम संहिताओं या ईंधन मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले सरकारी निर्णय, आदि में कोई बड़ा परिवर्तन हो। हालांकि, यह केवल महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), आरबीआई, अगरतला की अनुमति से किया जा सकता है।

The rates offered by the vendor and acceptance by the Bank, will remain valid, for a period of one year, i.e. up to the expiry of the initial agreement, thereafter they may be reviewed at the time of renewal of the contract provided any major changes occur in labour laws / Labour Codes or Government decision affecting fuel pricing. etc. However, this can be done only with the permission of the General Manager (Officer-in-charge), RBI, Agartala.

22. कि समझौते की निरंतरता के दौरान कार किराए की दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। That there shall not be any escalation of car hire rates during the continuance of the agreement.

23. सेवाओं में कमियों और बैंक और उसके अधिकारियों या जिन्हें बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, के कारण होने वाली गंभीर असुविधा के लिए, संबंधित मामले के लिए अनुमानित बिल के 25% से अधिक नहीं का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, बैंक इसे उचित नोटिस देने के बाद ही लगाएगा। विवाद के मामले में महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला को अपील की जा सकती है, जिनका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

For deficiencies in services and serious inconvenience caused to the Bank and its officials or those whom Bank directs to provide services, penalty not exceeding 25% of the estimated bill for the relevant instance may be levied. However, the Bank will levy it only after giving due notice. In case of dispute an appeal may be made to the General Manager (Officer-in-charge), Reserve Bank of India, Agartala whose verdict will be final in the matter.

24. वेंडर को अपने वाहन (वाहनों) के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। विफलता के मामले में, वेंडर इस संबंध में किए गए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और वेंडर पर बाध्यकारी होगा। ऐसा मुआवजा इस दस्तावेज में उल्लिखित किसी भी जुर्माना के अतिरिक्त हो सकता है। जुर्माना और मुआवजा, यदि कोई हो, वेंडर के बाद के बिलों से काट लिया जाएगा।

The vendor will also have to make alternate arrangements in case of breakdown of his vehicle(s). In case of failure, the vendor will be responsible to compensate all expenses incurred in this regard. Decision of the Bank in this regard will be final and binding on the vendor. Such compensation may be in addition to any penalty levied as mentioned in this document. Penalty and compensation, if



any, will be deducted from subsequent bill/s of the Vendor.

25. वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं से भी शिकायतों के लिए कोई गुंजाइश न हो। The Vendor should ensure that there will be no room for complaints from any where.

26. वेंडर इस अनुबंध के संबंध में भारत में कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। वेंडर हर साल रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण की पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और उसके संबंध में सफल बोलीदाता के कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देयता, जो उत्पन्न हो सकता है, के खिलाफ आरबीआई को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देगा। The vendor shall ensure full compliance with tax laws in India with regard to this contract and shall be solely responsible for the same. The vendor shall submit copies of acknowledgements evidencing filing of returns every year and shall keep RBI fully indemnified against liability of tax, interest, penalty etc. of the successful bidder in respect thereof, which may arise.

27. यदि वेंडर उस श्रेणी की कार प्रदान करने में सक्षम नहीं है जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो वह वाहन की उच्च श्रेणी प्रदान कर सकता है। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा। In case the vendor is not able to provide the category of car for which booking has been made by the Bank, he can provide higher category of vehicle. However, payment will be made for the category of vehicle booked by the Bank.

28. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रदान की गई टैक्सियां मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत पंजीकृत हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और नवीनतम सड़क सुरक्षा नियमों और विनियमों का भी पालन करेगा। The vendor shall ensure that the taxis provided by him are registered under Motor Vehicle Act, 1988 as revised from time to time and also follow latest Road Safety rules and regulations.

29. वेंडर उसके द्वारा लगाए गए व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। The vendor shall arrange to obtain police verification certificate regarding the antecedents of the persons engaged by them.

30. भारतीय रिज़र्व बैंक आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 1023 / 1024 के तहत स्रोत पर प्रचलित दरों के अनुसार उसमें शामिल आय पर आयकर की कटौती करेगा। यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य वैधानिक कटौती भी लागू होगी। RBI will deduct Income Tax at Source under Section 1023 / 1024 of Income Tax Act, 2025 at

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



the prevailing rates as income tax on the income comprised therein. Any other statutory deductions, if required shall also be made as applicable.

31. वेंडर रजिस्टर और अभिलेख प्रस्तुत करेगा और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन करेगा। The vendor shall produce registers and records and comply with any directions issued by RBI for compliance of the statutory provisions.

32. उपरोक्त पूर्वाग्रह के बिना, अनुबंध अवधि के अंतिम दिन या अनुबंध के दौरान, दोनों तरफ से तीन महीने के नोटिस के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। Without prejudice to above, contract will be terminated on last day of contract period or with a notice of three months on either side, during the contract.

32. STAMP DUTY

इस समझौते, जिसे दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, की मूल प्रति पर स्टाम्प ड्यूटी का खर्च वेंडर उठाएगा; मूल प्रति आरबीआई अपने पास रखेगा और वेंडर दूसरी प्रति (डुप्लिकेट) अपने पास रखेगा।

The Contractor shall bear the stamp duty on the original of this agreement, which shall be executed in duplicate, and RBI shall retain the original and the Contractor shall retain the duplicate.

33. गैर-प्रकटीकरण खंड: वेंडर इस समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगी और हर समय इसे सख्त गोपनीयता में रखेगी। वेंडर अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। वेंडर आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी वाणिज्यिक पत्र में या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगी या प्रकट नहीं करेगी। वेंडर किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक/नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक/नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगी। उपरोक्त का पालन करने में वेंडर की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों का पालन करने का हकदार होगा।

i) वेंडर इस संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

ii) गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में वेंडर की बाध्यताएं किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बच जाएंगी।



Non-Disclosure Clause: - The vendor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of RBI's infrastructure/ systems/ Standard Operating Procedures /equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the vendor during the course of discharging his/her/its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The vendor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The vendor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the work in any trade or Techno commercial paper or elsewhere without the previous written consent of RBI. The vendor shall indemnify RBI for any loss suffered by the employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the vendor and RBI shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

- i. The vendor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied.
- ii. The vendor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

34. वेंडर स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संहिता, 2019, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, श्रम संहिताओं और उसके तहत प्रकाशित नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी नुकसान और दावों, हर्जाने या मुआवजे के खिलाफ आरबीआई को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा। इस संबंध में केवल देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए वेंडर जिम्मेदार होगा। The vendor shall indemnify and keep indemnified RBI against all losses and claims, damages or compensation for breach of any provisions of the Health and Working Conditions Code, 2020, Payment of Wages Act, 1936, Minimum Wages Act, 1948, Code on Wages, 2019, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, The Employees Provident Fund (and Miscellaneous Provisions) Act, 1952, Payment of Bonus Act, 1965, the Labour Codes and the rules published thereunder, from time to time or any other labour laws/ rules/ regulations/ statute that may be applicable. The vendor only shall be responsible for liabilities, if any, in this regard.



35. **यौन उत्पीड़न:** वेंडर को "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पालन करना होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी/कार्मिक/प्रतिनिधि के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत को आरबीआई द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर किया जाएगा और आरबीआई को शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

- i. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ वेंडर के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- ii. वेंडर अपने कर्मचारियों/कर्मियों/प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- iii. वेंडर किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी जो घटना में वेंडर के कर्मचारियों को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि वेंडर के कर्मचारी द्वारा यौन दुराचार साबित होता है।
- iv. वेंडर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके किसी भी कर्मचारी/कर्मियों/प्रतिनिधि को बैंक के परिसर में निर्दिष्ट समय सीमा से अधिक प्रवेश या बने नहीं रहेंगे जब तक कि सफल निविदाकर्ता/ठेकेदार/फर्म/कंपनी/एजेंसी की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो और केटरकर/बैंक सुरक्षा अधिकारियों की अनुमति के साथ।

36. **Sexual Harassment:** The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall comply with the provisions of "the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee/personnel/representative within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by RBI and RBI shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

- i. Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Internal Complaints Committee constituted by the Bank.
- ii. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be responsible for educating its employees/personnel/representatives about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.
- iii. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency, for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual misconduct by the employee of the successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency is proved.
- iv. The successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency shall ensure that none of its employee/personnel/representatives will enter or remain in the Bank's premises beyond the specified time limits unless absolutely necessary for fulfilling successful tenderer/contractor / firm / company/ Agency obligations and with permission of the Caretaker/Bank Security officials.

36. अनुबंध की समाप्ति - कोई भी पक्ष लिखित में तीन स्पष्ट कैलेंडर माह की सूचना देकर समझौते को



समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। उपर्युक्त में निहित बातों के लिए पूर्वाग्रह के बिना, बैंक बिना कोई कारण बताए और बिना किसी मुआवजे के भुगतान के, लिखित नोटिस द्वारा तत्काल अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि-

- a) बैंक की राय में (जिसे वेंडर द्वारा प्रश्न में नहीं कहा जाएगा और वेंडर पर बाध्यकारी होगा) वेंडर बैंक की संतुष्टि के लिए अनुबंध को लागू करने में विफल रहता है या इनकार करता है; और/या
- b) वेंडर अनुबंध की किसी भी नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है; और/या
- c) किसी भी कारण से, वेंडर अनुबंध के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए किसी भी कानून के तहत हकदार नहीं हो जाता है;
- d) बैंक से लिखित पूर्व अनुमति के बिना वेंडर या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी में कोई भिन्नता है; और/या
- e) वेंडर को दिवालिया/दिवालिया घोषित किया जाता है, या उसके लेनदारों के साथ समझौता किया जाता है या यदि उस पर संकट या निष्पादन या अन्य प्रक्रिया लगाई जाती है या वेंडर की संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, वेंडर या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति मुआवजे या क्षति के रूप में बैंक से किसी भी राशि या राशि के हकदार नहीं होंगे।

Termination of Contract - Either party shall be at liberty to terminate the agreement by giving three clear calendar months' notice in writing. Without prejudice to what is contained herein above, the Bank shall at its sole and absolute discretion, be entitled to terminate the contract forthwith by written notice without assigning any reason and without payment of any compensation, if-

- a) In the opinion of the Bank (which shall not be called in question by the vendor and shall be binding on the vendor) the vendor fails or refuses to implement the contract to the Bank's satisfaction; and/or
- b) The vendor commits a breach of any terms and conditions of the contract; and/or
- c) For any reason whatsoever, the vendor becomes disentitled under any law to perform his obligation under the contract; and/or
- d) There is any variation in the ownership/partnership of the vendor or its business without the prior permission in writing from the Bank; and/or
- e) The vendor is adjudged an insolvent/bankrupt, or a compromise is entered by it with its creditors or if distress or execution or other process is levied upon it or receiver is appointed for any part of the assets or property of the vendor.

In the event of termination of the contract for any reason whatsoever, the vendor or persons employed by it shall not be entitled for any sum or sums whatsoever from the Bank by way of compensation or damages.

37. मध्यस्थता:

- (a) इस अनुबंध से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद और/या अंतर को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों



की संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालाँकि, यदि विवाद संयुक्त चर्चाओं द्वारा हल नहीं किए जाते हैं, तो मामला एकमात्र मध्यस्थ को न्यायनिर्णयन के लिए भेजा जाएगा जिसे महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, अगरतला द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(b) एकमात्र मध्यस्थ का फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही समय-समय पर संशोधित भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा शासित होगी। मध्यस्थता का स्थान आरबीआई, अगरतला होगा।

(c) मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता और अनुबंध की चालू रहने के दौरान, कोई भी पक्ष मध्यस्थता के कारण विवाद से संबंधित कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा और वेंडर को भुगतान अनुबंध के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

(d) इस अनुबंध से संबंधित सभी मामले केवल अगरतला की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

37. **Arbitration:**

(a) Any dispute and/or difference arising out of or relating to this contract will be resolved through joint discussion of the authorised representatives of the concerned parties. However, if the disputes are not resolved by joint discussions, then the matter will be referred for adjudication to a sole Arbitrator to be appointed by the General Manager (Officer-in-Charge), Reserve Bank of India, Agartala.

(b) The award of the sole Arbitrator shall be final and binding on all the parties. The arbitration proceedings shall be governed by Indian Arbitration and Conciliation Act 1996 as amended from time to time. The venue of arbitration shall be RBI, Agartala.

(c) The cost of Arbitration shall be borne by the respective parties in equal proportions. During the pendency of the arbitration proceeding and currency of contract, neither party shall be entitled to suspend the work/service to which the dispute relates on account of the arbitration and payment to the Vendor shall continue to be made in terms of the contract.

(d) All matters pertaining to this Contract shall be subjected to the jurisdiction of the courts in AGARTALA only.

38. **भाषा:** भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ वेंडर द्वारा इस समझौते को द्विभाषी, यानी हिंदी और अंग्रेजी में किया गया है। यदि समझौते की हिंदी, अंग्रेजी संस्करण से विरोधाभास करती है या अंग्रेजी संस्करण के अतिरिक्त या भिन्न शब्द शामिल हैं, तो अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

Language: This agreement is entered by the vendor with Reserve Bank of India in bilingual, i.e. Hindi and English. If Hindi of the agreement conflicts with the English version or contains terms in addition to or different from the English version, the English version shall prevail.

जिसके साक्ष्य में, दोनों पक्षों ने आज बारह महीने के लिए अगरतला में इस समझौते पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं और यह समझौता ऊपर लिखी तारीख को दो प्रतियों में तैयार किया गया है। In Witness whereof the parties have set their respective hands at Agartala on today for twelve months and this Agreement in Duplicate is being signed on the day herein above written.

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*



इसमें उल्लिखित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया / Signed and delivered by the within named

For Reserve Bank of India, Agartala

For _____

हस्ताक्षर / Signature

नाम / Name

पदनाम / Designation

सील / Seal

गवाहों की उपस्थिति में / In the presence of witnesses

गवाह 1 / Witness1

गवाह 2 / Witness 2

*विभिन्न आधिकारिक आवश्यकताओं के लिए आरबीआई, अगरतला को किराये पर कारों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का नाभिकायन हेतु ई-निविदा
E-Tender for empanelment of vendors for supplying cars to RBI, Agartala on hire for various official requirements*